GOVERNMENT BILLS–*Contd.*

The National Bank for Agriculture and Rural Development (Amendment) Bill, 2017

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ला): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:-

कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर, लोक सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाए।

उपसभापति महोदय, देश के अंदर वर्ष 1981 में कृषि, कुटीर और ग्रामीण शिल्प के विकास के लिए NABARD की स्थापना की गई थी। इसे National Bank for Agriculture and Rural Development भी कहते हैं। इसके माध्यम से विभिन्न तरीकों से विकास किया गया। भारत सरकार ने उसके लिए एक राशि निर्धारित की थी और उस आधार पर उस राशि के माध्यम से इन क्षेत्रों का विकास किया गया। पिछले कुछ वर्षों से सरकार की नीति और प्राथमिकताएं चलती रहीं, लेकिन जो वर्तमान सरकार है, उसके द्वारा ग्रामीण विकास क्षेत्र में रिफॉर्म्स तथा राज्य सरकारों को डायरेक्ट लोन के माध्यम से नाबार्ड की पूंजी में और विस्तार किया गया है। उदाहरण के रूप में नाबार्ड की बैलेंसशीट 31 मार्च, 2012 को 1 लाख 82 हजार 75 करोड़ रुपए से बढ़कर 31 मार्च, 2017 को उसमें 91.27 परसेंट की वृद्धि हुई। इस तरह से 3 करोड़ 84 लाख 260 करोड़ रुपए NABARD की पूंजी में कुल वृद्धि हुई। बहुत साफ शब्दों में सरकार ने इस बात को कहा है कि हम वर्ष 2022 तक आते-आते किसानों को ऋण मुक्त करने का काम करेंगे।

[उपसभाध्यक्ष (श्री भुवनेश्वर कालिता) *पीठासीन हुए]*

महोदय, जब सरकार ने किसानों को ऋण-मुक्त करने की बात कही, तो स्वाभाविक रूप से NABARD के अंदर पूंजी निवेश को बढ़ाने की आवश्यकता हुई। उसमें हमने यह कहा कि किसानों की आय भी हम दोगुनी करेंगे। हमने जो प्रस्ताव दिया है, उसके अन्तर्गत 5 हजार करोड़ रुपए से बढ़ाकर 30 हजार करोड़ रुपए तक ऋण देने हेतु NABARD की पूंजी को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। यथासम्भव आरबीआई से समय-समय पर राय लेकर इसे 30,000 करोड़ रुपये से अधिक बढ़ाने की क्षमता बनाना, यह वर्तमान में नाबार्ड की पूँजी को, जो 5,000 करोड़ रुपये है, यह authorized capital के रूप में authorize करने की बात कही है। इसके अतिरिक्त, इसकी equity की आवश्यकता होगी। वर्तमान में नाबार्ड में 99.6 परसेंट हिस्सा केन्द्र सरकार के पास है। हमारा यह मानना है कि 0.4 परसेंट आरबीआई के पास है। इस बिल के माध्यम से हम यह भी करेंगे कि आरबीआई के रोल में एक अंतर्द्वंद जो है, जो conflict है, वह कहीं पैदा न हो। चूंकि आरबीआई एक रेग्यूलेटर भी है, इस नाते इसको ट्रांसफर करके पूरा 100 परसेंट कैपिटल जो है, वह सरकार अपने पास करेगी और इसके द्वारा हम सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यमों का विकास करने के लिए पूरे क्षेत्र में कार्य करेंगे।

महोदय, यह एक छोटा-सा बिल है। इसी नाते सभी सदस्यों के समक्ष लाया गया है कि यह पूरे तौर पर कृषि और ग्रामीण विकास से जुड़ा हुआ है। मैं चाहूंगा कि निश्चित रूप से इसकी स्थिति को जानते हुए सभी लोग इसके पक्ष में भी होंगे। मैं सभी से इस बात का निवेदन करूंगा कि इस बिल को इसकी आवश्यकता के अनुरूप निश्चित रूप से पास करने में सरकार की मदद करें, धन्यवाद।

The question was proposed.

DR. T. SUBBARAMI REDDY (Andhra Pradesh): Sir, I am very happy to participate in the discussion on the National Bank for Agriculture and Rural Development (Amendment) Bill, 2017. This Bill was introduced in the Lok Sabha on the 5th of April 2017 and passed by Lok Sabha on the 3rd of August, 2017. Here, the Amendment Bill seeks to empower the Central Government to increase the authorized capital from ₹ 5,000 crores to ₹ 30,000 crores in consultation with the Reserve Bank of India, and to further increase the capital to ₹ 30,000 crores as deemed necessary from time to time. This is a welcome measure. The increase in the authorized capital has arisen because the Reserve Bank which was having about 70 per cent stake in NABARD has returned the money to the Central Government. With the transfer of equity, the Central Government held stakes worth 99.6 per cent and RBI will make an official exit from NABARD virtually. This is a very welcome factor. The divesting of equity by RBI is in line with the recommendations of the Narasimham Committee Second Report, which said that it was inconsistent with the principles of effective supervision that the regulator can also be the owner of the Bank.

It is claimed by the Government that these amendments would revive public investments in agriculture and rejuvenate the dairy sector. I would stress that the Central Government should provide adequate capital to NABARD so that it would extend refinancing facilities to the agriculture sector. Once you, the Central Government, have given away the full powers, it is your responsibility to give full sufficient money. It should not only be ₹ 30,000 crores.

One of the stated objectives of this Amendment Bill is to provide refinance support to the cooperative banks which require urgent infusion of equity. While I welcome this move, I would like to say that the Government itself is responsible for making these cooperative banks ineffective while undertaking demonetization. There are about 93,000 cooperative banks compared to less than 10,000 rural branches of commercial banks. During demonetisation, the Cooperative Banks were kept out of the entire exercise of depositing and exchanging old notes and only scheduled banks had been given this privilege. If the Central Government really wants to help the rural credit banks, then it should take adequate steps to help the cooperative banks which are already in need of money since November, 2016. Sir, I will complete in two minutes.

The amendment also seeks to financially revive the existing commitments of NABARD relating to funding of irrigation projects. This is a very welcome factor. The whole House knows how the Polavaram Project is hampered and no money is provided

by the Central Government. The Centre itself has advised the State to go slow on the national Polavaram project. Here I would like to say that one of the stated objectives of the amendment Bill is to give finance and support to the cooperative banks. I want clarity from the Minister as to how we are actually planning to refinance the cooperatives. Another point is: I wanted to know from the hon. Minister about the big irrigation fund announced. The proposed Amendment also seeks to financially revive the existing commitment of NABARD relating to funding of irrigation projects. Sir, the Long Term Irrigation Fund was instituted by NABARD as part of the PM Krishi Sinchayee Yojana in the hon. Finance Minister's Budget Speech for 2016-17. However, funds released for PMKSY till now are very, very insignificant. Against the allocation of ₹ 1,000 crores under the Accelerated irrigation Benefits Programme, only ₹ 450 crores has been given.

In view of the above, I would like to urge upon the hon. Minister:

(1) How is he going to help the co-operative banks? (2) What plans the Government have and how much Government is going to increase to extend the assistance since Government holds 99.6 per cent in NABARD? (3) Irrigation is a challenge in the country. The Central and the State Governments have to take up this challenge for the benefit of farmers and the country. NABARD will play a very important role after this amendment in irrigation projects. So, I would like to know what plans the Ministry have to increase funds for irrigation.

With these observations, I support the Bill and request the hon. Minister to clarify these three points. Thank you.

श्री नारायण लाल पंचारिया (राजस्थान): धन्यवाद, माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय कि आपने मुझे इतने महत्वपूर्ण बिल पर बोलने का अवसर दिया। श्रीमान्, आज का दिन हमारे देश की 70 प्रतिशत आबादी, जो गांवों में रहती है, उसके लिए बहुत ही सुखद व लाभकारी है।

सर, नाबार्ड देश की एक शीर्ष वित्तीय संस्था है। हम सभी जानते हैं कि इसकी स्थापना आज से 35 वर्ष पूर्व यानी कि 1982 में हुई थी। नाबार्ड देश में कृषि, कुटीर उद्योग, ग्रामीण उद्योग, हस्तशिल्प व लघु उद्योग के क्षेत्र में ऋण व पुनर्वित्त प्रदान करता है। हम यह भी जानते हैं कि नाबार्ड ने भारत में करोड़ों ग्रामवासियों के जीवन को प्रभावित किया है। देश का प्रत्येक ग्रामवासी नाबार्ड से भली-भांति परिचित भी है।

श्रीमान्, पिछले कुछ वर्षों से हमारी सरकार आने के पश्चात् नीति तथा प्राथमिकताओं के अनुरूप कृषि व ग्रामीण विकास के क्षेत्र को re-finance तथा डायरेक्ट लोन के माध्यम से नाबार्ड ने अपने कार्यों में बहुत ही व्यापक विस्तार किया है। उदाहरणस्वरूप नाबार्ड की बैलेंस शीट 31 मार्च, 2012 को 1 लाख 82 हजार करोड़ रुपए थी, उसमें 31 मार्च, 2016 को लगभग 10 हजार करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है अर्थात इतने कम समय में नाबार्ड की गतिविधियों में लगभग 70 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

[श्री नारायण लाल पंचारिया]

उपसभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि नाबार्ड पूर्णतया फाइनेंस ही नहीं करता, बल्कि पहली बार नाबार्ड के माध्यम से सिंचाई क्षेत्र के रकबे को बढ़ाने का काम भी किया गया है, साथ ही उसने 4 लाख किलोमीटर सड़कें बनाने का कार्य किया है। ग्रामीण इन्फ्रास्ट्रक्चर के रूप में 10 लाख 37 हजार ग्रामीण पुलों के निर्माण का कार्य हुआ है। ग्रामीण क्षेत्र की सड़कें वर्षों से जीर्ण-शीर्ण हालत में पड़ी थीं, उन्हें भी नाबार्ड के माध्यम से बना कर तैयार किया गया है। राज्यों को नाबार्ड के माध्यम से सस्ती दर पर फाइनेंस भी दिया गया है, जो इस बिल के पारित हो जाने के पश्चात् और अधिक बढ़ेगा।

माननीय उपसभापति महोदय, देश में ग्राम सेवा सहकारी समितियों की महत्ती भूमिका है। एक समय था, जब देश की ग्राम सेवा सहकारी समितियां किसानों को 12 प्रतिशत से लेकर 18 प्रतिशत की दर से ऋण देती थीं, परंतु धीरे-धीरे नियम व नीतियों में परिवर्तन हुआ और आज मुझे बताते हुए गर्व होता है कि ग्राम सेवा सहकारी समितियां किसानों को कई राज्यों में ज़ीरो प्रतिशत तो कहीं एक प्रतिशत की दर से पांच लाख रुपए तक का ऋण देती हैं। हमारे प्रधान मंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से कहा था कि भारत का खजताना गांव, गरीब, किसान, युवा, महिला, दलित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के हित में काम आएगा। महोदय, आज हम राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (संशोधन) विधेयक, 2017 को पास करने जा रहे हैं। इससे जहां गांवों में किसानों को सस्ता व सुलभ ऋण मिलेगा, साथ ही देश के करोड़ों-करोड़ 'स्वयं सहायता समूह' की बहनों को भी सीधा लाभ मिलने वाला है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के माध्यम से ग्रामीण युवाओं को भी रोज़गार मिलेगा।

महोदय, हमारे प्रधान मंत्री, आदरणीय श्री नरेन्द्रभाई मोदी जी ने देश के किसानों की आय को सन् 2022 तक दोगुना करने का जो लक्ष्य निर्धारित किया है, मैं सोचता हूं कि उस लक्ष्य को हासिल करने में यह बिल बहुत सहायक सिद्ध होने वाला है। किसानों के सामने समस्या तब आती है, जब वे केवल कृषि पर ही निर्भर रहते हैं। मुझे अभी गुजरात चुनाव में वहां के अनेक गांवों में जाने का अवसर मिला। मैंने देखा कि वहां के किसान साधन-सम्पन्न व सुखी हैं, क्योंकि वहां का किसान कृषि तो करता ही है, साथ ही दुग्ध-उत्पादन के व्यवसाय से जुड़ा हुआ है। हर गांव के प्रत्येक घर में दुधारु पशु है, हर ग्राम पंचायत पर दुग्ध कलेक्शन सेंटर खुले हैं, जहां एक किलो से अधिक जितना भी दूध हो, वहीं पर टैस्ट करके खरीद लिया जाता है। दुग्ध-डेयरी का बहुत बड़ा व्यवसाय वहां किसानों द्वारा नाबार्ड के सहयोग से चलाया जा रहा है। साथ ही किसानों को कृषि ऋण 0% ब्याज पर दिया जाता है, अर्थात् किसानों को ब्याजमुक्त कृषि ऋण दिया जाता है। ठीक इसी प्रकार, राजस्थान में भी किसान पर्याप्त मात्रा में दुग्ध व्यवसाय से जुड़े हैं। हमारे यहां भेड़-ऊन का व्यवसाय भी किसान करते हैं। देश में पशुधन के हिसाब से भी हमारा राज्य राजस्थान देश के अग्रणी राज्यों में है। कोऑपरेटिव सेक्टर में भी हमारा किसान व ग्रामीण महिलाएं बहुत सक्रिय हैं। ग्रामीण महिलाएं, जो बहुत ज्यादा पढ़ी-लिखी नहीं होतीं, लेकिन 'स्वयं सहायता समूहों' में हजारों की तादाद में हैं, और गांवों में कुटीर उद्योग चलाती हैं, उन महिलाओं को इस बिल के पास हो जाने के बाद सस्ता, सुलभ व पर्याप्त ऋण प्राप्त होगा।

महोदय, पूरे विश्व में जल की समस्या आज मुंह बाये खड़ी है। हमारे देश के अनेक क्षेत्रों में जल का स्तर बहुत नीचे चला गया है। इस समस्या से निजात पाने के लिए नाबार्ड ने इसी वर्ष 2017 में 'विश्व जल दिवस' के उपलक्ष्य में देश में जल के महत्व को ध्यान में रखते हुए "जल है तो कल है" के स्लोगन के साथ देश में एक लाख चयनित गांवों में 'जन जागरण अभियान' शुरू किया है। वर्षा जल को कैसे बचाया जाए तथा जल स्वावलम्बन हेतु भारत सरकार की योजनाओं की जानकारी और उसमें मिलने वाली किसानों की सहायता राशि पहुंचाने का कार्य भी शुरू किया गया है। जल स्वावलम्बन के संबंध में, मैं एक जानकारी राजस्थान के संदर्भ में शेयर करना चाहता हूं।

हमारे राजस्थान की मुख्य मंत्री, श्रीमती वसुन्धरा राजे जी ने वर्षा जल पर एक नवाचार किया है, ताकि बिना सरकारी फंड के खर्च किए, वर्षा जल को बचाने की योजनाएं पूरी की जा सकें। गांव का पानी गांव में रहे, खेत का पानी खेत में रहे और अपने घर का पानी घर के उपयोग में ही आए, इस हेतु जन-जागृति करके राजस्थान में एक योजना बनाई गई, जिसका नाम 'मुख्य मंत्री जल स्वावलम्बन अभियान' रखा गया है। महोदय, यह अभियान वहां बहुत सफल रहा है, जिसमें जन-भागीदारी से व ग्रामीणों के श्रम तथा संसाधनों के सहयोग से, दो फेज़ पूरे करके, तीसरे फेज का काम चल रहा है। मुझे बताते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है कि अभी तक राजस्थान के 7,742 गांवों में कुल 2,23,000 कार्य पूर्ण हो चुके हैं। गांवों में तालाबों व जल संग्रह के स्थानों का जीर्णोद्धार किया गया है, आगोर के क्षेत्र को बढ़ाया गया है और साथ ही ऐसी व्यवस्था की गई है ताकि गांवों का पानी गांव में ही रुक सके। इतना ही नहीं, राजस्थान के सभी सरकारी स्कूलों व सरकारी भवनों में जल-संग्रह का कार्य भी किया गया है। भवन निर्माण के नक्शों की स्वीकृति हेतु नियमों में ऐसा प्रावधान किया गया है कि निर्माण स्वीकृति तभी मिलेगा, जब वर्षा जल के संग्रह का प्रावधान मानचित्र में किया गया होगा।

महोदय, इसके परिणाम भी आने लगे हैं। राजस्थान के डार्क ज़ोन में भूजल स्तर बहुत बढ़ने लगा है, जिससे किसान अपने खेत व ग्राम के वर्षा जल को रोककर, उसे इकट्ठा करके, प्रधान मंत्री जी के 'वन ड्रॉप, मोर क्रॉप योजना' का लाभ लेकर कृषि कर रहे हैं। माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं वित्त मंत्री आदरणीय श्री अरुण जेटली जी व वित्त मंत्री श्री शुक्ला जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने हमारे देश के गाँव, गरीब, किसान, युवा व महिलाओं की चिन्ता की है। देश के किसान की आय सन् 2022 तक कैसे बढ़े, इसको ध्यान में रखकर इस बिल में संशोधन करके नाबार्ड की पूँजी में बढ़ोत्तरी का प्रावधान किया गया है। पहले वाले बिल में नाबार्ड की पूँजी केवल 100 करोड़ रुपये थी, जिसको केन्द्र सरकार रिजर्व बैंक की सहमति से 5,000 करोड़ रुपये तक बढ़ा सकता था। अब नए प्रावधानों में 5,000 करोड़ रुपए के स्थान पर 30,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। साथ ही, आवश्यकता पड़ने पर केन्द्र सरकार भारतीय रिजर्व बैंक की सलाह से इस राशि को 30,000 करोड़ रुपये से अधिक भी बढ़ा सकती है।

श्रीमान्, इस प्रावधान से नाबार्ड के पास पर्याप्त पूंजी रहेगी, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के कार्य तेज गति से होंगे तथा सड़क, पुल, सिंचाई, सुविधा, भूमि विकास और भंडारण गोदामों के निर्माण का काम भी गाँवों में विस्तार से किया जाएगा। इससे ग्रामीण आधारभूत ढाँचे को और अधिक मजबूत किया जाएगा तथा किसानों को भी पर्याप्त रूप से ऋण मिल सकेगा।

[श्री नारायण लाल पंचारिया]

माननीय उपसभापति महोदय, यह एक महत्वपूर्ण बिल है। इसमें हम नाबार्ड की पूँजी को बढ़ाने का कार्य तो कर ही रहे हैं, साथ ही तकनीकी रूप से इस बिल में जो एक कमी थी, उसे दुरुस्त करने का कार्य भी किया जा रहा है ...**(समय की घंटी)**... अभी तक केन्द्र सरकार व भारतीय रिजर्व बैंक, दोनों के पास नाबार्ड की शेयर पूँजी का 51 प्रतिशत हिस्सा था, जिसमें संशोधन करके सम्पूर्ण 51 प्रतिशत राशि को केन्द्र सरकार के पास रखने का प्रावधान किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक की राशि केन्द्र सरकार को हस्तांतरित होगी। साथ ही, भारतीय रिंजव बैंक द्वारा नाबार्ड के सुपरविजन का कार्य जारी रहेगा, जिससे किसानों व ग्रामीण क्षेत्र के विकास की योजनाओं को और अधिक बल मिलेगा।

माननीय उपसभापति महोदय, इस बिल में छोटे, सूक्ष्म और मध्यम उद्यमियों को 20 लाख रुपए की जगह मैन्यूफैक्चरिंग क्षेत्रमें 10 करोड़ रुपए तक तथा सेवा क्षेत्र में 5 करोड़ रुपए तक के निवेश वाले उद्यमियों को शामिल करने का प्रावधान किया गया है। इससे हमारे प्रधान मंत्री जी की "मेक इन इंडिया" की योजना को बल मिलेगा, ग्रामीण क्षेत्र में जगह-जगह उद्योग लगेंगे, जिससे रोजगार का सृजन होगा व बेरोजगारी की समस्या का भी समाधान होगा।

माननीय उपसभापति महोदय, इस बिल के पारित होने के पश्चात् नाबार्ड के माध्यम से गांवों में इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलप होंगे, युवाओं को रोजगार दिया जाएगा और किसानों की आय को बढ़ाने का भी कार्य किया जाएगा। इससे नाबार्ड देश में सिंचाई के क्षेत्र को बढ़ाएगा, भंडारण की क्षमता को बढ़ाएगा, सस्ती दर पर ऋण देकर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को रोजगार देने के लिए डेयरी, मत्स्य पालन सहित लघु, कुटीर व हस्तशिल्प उद्योगों को बढ़ावा देने का कार्य भी करेगा। ...**(समय की घंटी)**...

उपसभाध्यक्ष (श्री भुवनेश्वर कालिता): अब आप समाप्त कीजिए। आपकी पार्टी से एक और स्पीकर को बोलना है। ...**(व्यवधान)**...

श्री नारायण लाल पंचारिया: सर, एक मिनट। इससे देश के किसानों की आय को दोगुना करने का जो लक्ष्य माननीय प्रधान मंत्री जी ने रखा है, उसे हम पूरा कर पाएँगे।

श्रीमान्, अंत में, इस बिल का समर्थन करते हुए मैं वित्त मंत्री जी अरुण जेटली जी को और वित्त राज्य मंत्री शुक्ला जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी बात को पूर्ण करता हूं, धन्यवाद।

श्री नीरज शेखर (उत्तर प्रदेश): उपसभापति जी, मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ और वित्त मंत्री आदरणीय अरुण जेटली जी और हमारे अभिभावक, वित्त राज्य मंत्री आदरणीय शुक्ला जी को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि वे इस बिल को लाए। इस बिल की जरूरत तो बहुत है, लेकिन धरातल पर क्या काम हो रहा है, उसको जानना भी बहुत जरूरी है। सर, आपको पता है कि इससे पहले इन्सॉल्वेंसी के बिल पर चर्चा हो रही थी, तब सदन में कितने लोग थे और जब नाबार्ड का बिल आ गया है, तो अब कितने लोग आपके सामने हैं। यह यही दर्शाता है, जो इस देश की वास्तविकता है। जब कॉरपोरेट की बात आती है, तो पूरा सदन भरा होता है और जब इस देश के किसान की बात आती है, तो कोई दिखाई नहीं देता। इस देश को आज अगर कोई चला रहा है, तो वह इस देश का किसान है और इस देश का जवान है।

5.00 P.M.

हम लोग उसको हमेशा बोलते तो हैं लेकिन उसके लिए करते क्या हैं? 1981 में नाबार्ड को स्थापित किया गया और उसके बाद लगातार इन 36 सालों में नाबार्ड ने काम किया है, कृषि के क्षेत्र में किसानों के लिंए, इफ्रास्ट्रक्चर के लिए, लेकिन फिर भी तीन लाख किसानों ने आत्महत्या की है। क्यों? धरातल पर काम हुआ कि नहीं। पैसा बढ़ाने से यह जरूरी नहीं कि किसान तक वह पैसा पहुंच जाएगा। हम लोग बात करते हैं कि किसानों को कम ब्याज पर ऋण देंगे। कहते हैं कि 7 परसेंट पर देंगे और अगर वह टाइम पर पेमेंट कर देगा तो वह 4 परसेंट हो जाएगा, लेकिन वह टाइम पर केसे दे पाएगा? आज किसान की जो समस्या है, एम.एस.पी. की उसकी जो समस्या है, अगर आज किसान अपने उत्पाद को बेचने जाता है तो क्या उसको पूरा दाम मिल रहा है? आज धान का मूल्य 1,565 रुपए है। मैं तो अपने क्षेत्र बलिया, गाज़ीपुर का ही जिक्र करूंगा कि वहां आज किसान परेशान है, क्योंकि क्रय केन्द्र पर उससे कहा जा रहा है कि इस पर मॉइश्चर आ गया है, इसमें दाग आ गया है, इसको तो हम लोग खरीद ही नहीं पाएंगे। तो किसान क्या करे? तो किसान उसको बाजार में 1,100 रुपए में बेच देता है। इससे किसान को फायदा क्या हो रहा है? एक तरफ किसान को कहा जा रहा है कि वह ऋण का टाइम पर पेमेंट कर दे। तो वह कैसे टाइम पर पेमेंट कर पाएगा, जब वह लागत लगा रहा है 2,400 रुपए की और उसको हम न्यूनतम मूल्य 1,565 दे रहे हैं और उसको वास्तव में 1,100 मिल रहे हैं। इससे किसान को कैसे फायदा होगा? तो नाबार्ड को देखना चाहिए, जबकि नाबार्ड तो देखता है कि रूरल बैंक को पैसा मिले। रूरल बैंक आज किसान को पैसा दे रहा है। इसमें बिचौलिए इतने सारे हैं, जिनको पैसा मिल जाता है। वित्त राज्य मंत्री जी, हम लोग देखें कि किसान तक पैसा पहुंचे। आप कह रहे हैं कि आप लोगों ने इसमें जोड़ा है, मैं इसका स्वागत करता हूं कि माइक्रो, मीडियम, स्मॉल स्केल पर नौजवानों को रूरल एरिया में इस पर ऋण मिलेगा, जिससे कि वे उद्योग लगा सकें, लेकिन हम लोगों को देखना है कि इसकी आड़ में बड़े पूंजीपति न आ जाएं और वहां पर बड़े किसान न आ जाएं। लेकिन पता चला कि छोटा किसान वहीं अपनी एड़ी घिस रहा है, उसको कुछ मिल ही नहीं रहा है। हम लोगों को यह देखना है। आज कल हम सुनते हैं कि ऋण कैसे मिलता है। हम लोगों को बोला जाता है कि आपको वेयरहाउस बनाना है तो आप पैसा ले लीजिए। मैं देख रहा हूं तथा आप एक का भी केस बतला दीजिए कि किस छोटे किसान का वेयरहाउस है। किसी भी एक छोटे किसान का वेयरहाउस नहीं मिलेगा। इसमें बड़े किसान होंगे, उन्हीं के पास है। फिर इससे क्या फायदा है? मैं इसीलिए कह रहा हूं कि हम लोगों का कर्तव्य बनता है, मैं आपको दोष नहीं दे रहा हूं, अगर कोई भी सरकार आती है, उस पर ध्यान नहीं देती है। हम लोग किसानों के लिए तो बड़ी-बड़ी बातें करते हैं। हम लोगों ने कहा कि आप जैसे कह रहे हैं, अभी आपने भी कहा, आदरणीय सदस्य ने कहा कि 2022 तक हम लोग किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। कैसे कर देंगे आप, कैसे होगा यह बताइए? अभी उसको उतना मिल ही नहीं रहा है जितना वह लागत लगा रहा है, तो दोगुनी कैसे हो जाएगी। आज के दिन हम लोगों का कृषि से जी.डी.पी. 17 प्वाइंट कुछ परसेंट है, जिसका मुझे पूरा ध्यान नहीं है। एक समय वह 50 परसेंट थी। यह मैं नहीं कह रहा हूं कि कृषि का जी.डी.पी. ज्यादा देना चाहिए। अगर हमने किसान को कुछ दिया होता, उसका हाथ बांटा होता तो किसान जरूर आगे बढ़ता, लेकिन किसान आगे कहां बढ़ा? किसान आत्महत्या कर रहा है, किसान मर रहा है, किसान बार-बार कह रहा है कि ऋण माफ किया जाए। माननीय वित्त मंत्री जी कहते हैं कि ऋण माफ करने की बात ही नहीं है। इसीलिए सुबह जब प्रश्न आया

[श्री नीरज शेखर]

तो मैं यह पूछ रहा था कि एन.पी.ए. में बड़े-बड़े उद्योगों का ऋण माफ हो जा रहा है। कह रहे हैं कि उसकी बुक एडजस्टमेंट हो रही है, माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा। तो किसानों के लिए भी बुक एडजस्टमेंट कर दो, उनका भी ऋण खत्म हो जाए। यह क्यों नहीं हो सकता? किसान कब तक मरता रहेगा इस देश में? आप एक उद्योगपति बतला दीजिए, 9 लाख, कुछ करोड़ का एन.पी.ए. हो गया, एक उद्योगपति ने आत्महत्या की हो? वे लाखों करोड़ रुपए का ऋण लेकर डकार जा रहे हैं, लेकिन उसके लिए कुछ नहीं और अगर किसान ऋण ले लेता है और वह समय पर वापस नहीं करता है तो उसका ट्रैक्टर खींचा जाता है, उसकी कुर्की होती है, उसके घर पर नोटिस लगा दिया जाता है, लेकिन वह चाहे आत्महत्या कर ले शर्म के मारे, परन्तु उद्योगपति का नाम सदन में नहीं लिया जा सकता, जो और ऋण ले रहा है लाखों करोड़ रुपए का। कुछ लोग तो ऋण लेकर भाग गए हैं, उनके बारे में भी मैं आपसे पूछ रहा हूं। किसान कब तक अपने लिए ऐसे ही मांगता रहेगा? हम लोग कहते हैं कि किसान अन्नदाता है और उसके लिए सब कुछ किया जाएगा। माननीय मंत्री जी आपने जो कुछ कहा है, उसको मैंने सुना है। इसमें माइक्रो बहुत अच्छी चीज़ है। आज नौजवान खेती नहीं करना चाहता है, अगर हम उसको प्रोत्साहन देंगे, तभी वह खेती की ओर बढ़ेगा। आप नाबार्ड के माध्यम से माइक्रो, मीडियम और स्माल स्केल एंटरप्राइजेज़ को पैसा देंगे, तो उससे नौजवान आगे आएगा और मैं आपके इस कदम का स्वागत करता हूं। हम लोगों को इस बात पर भी ध्यान देना है कि यह ऋण उनको मिले। अगर नौजवान ऋण लेना चाहता है, तो उसको ऋण लेने के लिए कमीशन न देना पड़े। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम लोगों के पास सैंकड़ों लोग आते हैं, जो कहते हैं कि भैया, हम ऋण क्या लें, उसका 20 परसेंट कमीशन के रूप में मैनेजर मांग लेता है। अगर कोई नौजवान ऋण लेने जाएगा और उसका पहले ही आधा पैसा ऋण लेने में चला जाएगा, तो वह क्या लगाएगा, क्या खाएगा, क्या बनाएगा? इसकी तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए।

श्री तपन कुमार सेन (पश्चिमी बंगाल): वह क्या वापस करेगा?

श्री नीरज शेखर: मैं इस बात को भी कहना चाहता था, लेकिन आदरणीय तपन सेन जी मुझे फिर से एक प्वाइंट याद दिला दिया। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि नाबार्ड में कितना एन.पी.ए. है? कितने किसानों ने ऋण वापस नहीं किया है, यह मैं जानना चाहता हूं। इसमें भी कुछ न कुछ होगा? कितने किसान ऋण लेते हैं और कितने किसान ऋण वापस नहीं करते हैं? यहां पर पूरे देश की बात हो रही है। मेरा यह मानना है कि किसान अपना पूरा ऋण वापस करता है। मैंने इसके बारे में कई जगह पर आंकड़ों को ढूंढा है, लेकिन मुझे नहीं मिले हैं। आपके उत्तर में भी यह लिखा हुआ है कि हम इसका कोई डाटा नहीं रखते हैं कि किसान कितना ऋण वापस करता है। इसका कोई सेंट्रलाइज्ड डाटा नहीं है। इसको मैंने कई जगह पर ढूंढने की कोशिश की है और मैं इसके बारे में जानना चाहता हूं कि किसान कितना ऋण वापस कर रहा है? किसान इस देश का भला चाहता है, गरीब इस देश का भला चाहता है। वह जानता है कि अगर मैं ऋण वापस करूंगा, तो मुझे फिर से ऋण मिल जाएगा। यह बात मैं मानता हूं कि वह समय पर कभी ऋण वापस नहीं कर पाता है, उसमें कमी रह जाती है। ...**(समय की घंटी)**... सर, अभी एक मिनट का समय बचा है। सर, मैं अपनी पार्टी से अकेला ही बोलने वाला हूं। मैं यह कह रहा था कि...

उपसभाध्यक्ष (श्री भुवनेश्वर कालिता): आप अपने प्वाइंट पर आइए।

श्री नीरज शेखर: सर, मैं वहीं आ रहा हूं। मैंने माननीय मंत्री जी की बात सुनी है। अंत में, मैं यही कहना चाहता हूं कि नाबार्ड में बहुत सारे प्रावधान हैं। उसमें एक बहुत अच्छा प्रावधान यह है कि जब दैवी आपदा आती है, तो वह उसके लिए भी पैसा देता है। अभी हरिवंश जी ने जयप्रकाश नारायण जी की जन्मस्थली सिताबदियारा गांव का मुद्दा उठाया है। आज कटान से वह क्षेत्र कट रहा है। मैं जानता हूं कि कटान से लोगों को बहुत पीड़ा होती है। इस कटान को राकने के लिए अगर चार या पांच करोड़ रुपये से ज्यादा की जरूरत होती है, तो उसका प्रपोज़ल राज्य सरकार से नाबार्ड के पास जाता है। बलिया के कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, जो नाबार्ड के पास गए हैं। देश के बहुत से प्रोजेक्ट्स नाबार्ड में जाते हैं, लेकिन इन प्रोजेक्ट्स को पास होने में वहां पर कई महीने का समय लग जाता है। कटान किसी के लिए रुकता नहीं है, पानी किसी के लिए रुकता नहीं है, गंगा किसी के लिए रुकती नहीं है और जब कटान शुरू हो जाता है, तो सारी चीज़ कट जाती है। इसलिए मैं चाहता हूं कि अगर दैवी आपदा के लिए आप पैसा देते हैं, तो उसको समय पर दीजिए। नियम ऐसा होना चाहिए कि अगर जून-जुलाई में बाढ़ आने वाली है, तो उसमें काम नवम्बर-दिसम्बर में हो। अगर आप मई में काम शुरू करेंगे और जून-जुलाई में बारिश आ जाएगी, तो उस पैसे का कोई फायदा नहीं है। जयप्रकाश नारायण जी के गांव के लिए नाबार्ड से पैसा मिले, इसको सभी लोग चाहते हैं। वहां पर उनका एक स्मृति-स्थल बना भी हुआ है, वह सब कटान में चला जाएगा। इसलिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि नाबार्ड के लोगों से यह भी कहा जाए कि जो ऐसे प्रपोज़ल्स उनके पास आते हैं, उन पर ज्यादा ध्यान दिया जाए, क्योंकि एक बार किसान का खेत कटान में चला जाए, किसान का घर कटान में चला जाए, तो वह दोबारा नहीं आ सकता है। आज किसान की पीड़ा यही है कि कटान में उसका खेत चला जाता है, माननीय उपसभाध्यक्ष जी, ऐसा होते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है। वह जानता है कि कल कटान से मेरा घर गिर जाएगा, वह अपने हाथ से अपना घर तोड़ता है और रोते-रोते तोड़ता है। वह घर, जिस से उसने अपनी संपत्ति और सालों जमा किया पैसा लगाया है, उसे तोड़ना पड़ता है। इसलिए अगर आप उसे पैसा देने वाले हैं, तो समय पर दें ताकि कटान रुक सके और उसका घर और खेत बच सके। मैं मंत्री जी से यही आग्रह और विनती करना चाहता हूं।

महोदय, हम सब इस विधेयक के समर्थन में हैं, लेकिन मैं वित्त मंत्री जी से यही कहना चाहता हूं कि आप इसे धरातल पर लागू करें, धन्यवाद।

SHRI N. GOKULAKRISHNAN (Puducherry): First of all, I want to convey my heartiest New Year wishes to the hon. Vice-Chairman and to all my colleagues present in this august House.

Sir, the National Bank for Agricultural and Rural Development (Amendment) Bill, 2017, is a landmark step on two counts. Number one, the Bill increases the authorised capital of the apex body of agricultural and rural development by six folds, from the existing ₹ 5,000 crores to ₹ 30,000 crores. Number two, the Bill also seeks to amend certain clauses in the light of reference to MSME Development Act, 2006, and the Companies Act, 2013, in the proposed legislation.

[Shri N. Gokulakrishnan]

Some political analysts say that if the NDA Government had been more sensitive to the farmers' demands, it would have performed better in the recently-concluded Gujarat Assembly elections. Okay; past is past. Now, I appreciate that by this step, the focus of the Government is shifted towards empowering the farmers rather than resorting to populist measures.

Sir, as far as promotion of agriculture is concerned, NABARD and SEBI should come forward to work together to improve farmers' participation by encouraging Farmer Producers' Organization in commodity exchanges and futures trading. This will enable the farmers to get better prices for their produce. The Government had already declared to double the agriculture income by the year 2022, which makes the role of NABARD even more critical in achieving this goal. The proposed increase in the authorised capital would enable NABARD to respond to the commitments it has undertaken, particularly in respect of the Long-Term Irrigation Fund, and the recent Cabinet decision regarding lending finance to co-operative banks.

Sir, the basic objective of NABARD is to create rural development programmes for alleviation of poverty and unemployment through creation I of basic social and economic infrastructure, provision of training to rural unemployed youth and providing employment to the marginal farmers and labourers, to discourage seasonal and permanent migration to urban areas. But, actually speaking, youth are really migrating to urban areas, and the aged remain in rural India, struggling for day-to-day livelihood. With regard to poverty, I would like to mention here that the Rural Development Report, which is also endorsed by the Government, says, "Seven per cent of the rural population is very poor and villages in Eastern India are worst affected."

It is to be noted that there are so many issues to be taken care of by the Government through NABARD with regard to rural development. Though the Government is spending a lot, still there is a lot to be achieved for rural development. For example, good roads for transportation, uninterrupted power supply, quality drinking water, better sanitary and health, good education, particularly literacy for women, are some of the important issues to be taken care of by NABARD through liberal financing. The low female literacy rate has had a dramatically negative impact on family planning and by promoting the female literacy rate, we can definitely reduce the population growth. Please note that this is very, very important point. Sir, why I want to mention this is that, on the one hand, the extent

of agricultural land is shrinking day-by-day for many reasons, on the other hand, there is no proper control on rapid population growth.

Sir, my next point is that in the 1981 Act, the upper-lending limit of NABARD was only ₹ 20 lakhs for plant and machinery. Now, the Bill raises the limit for medium enterprises up to ₹ 10 crores in the manufacturing sector and up to ₹ 5 crores in the services sector.

Sir, in this regard, I would like to suggest an important thing that the Government may exclude the medium enterprises from the scope of finance through NABARD by retaining only micro and small enterprises, which will be helpful to create more employment opportunities for rural youth.

Even if the Government is pumping more capital, it would be difficult to maintain the capital if it starts lending finance to the medium enterprises, and, I am really afraid that the capital will be drained very fast. ...*(Time-bell rings)*... I am concluding, Sir.

Sir, for medium enterprises, so many other banks, namely, the IDBI and other commercial banks, are available.

Coming to my last point, there is a mixed response with regard to 100 per cent equity of Central Government by totally delinking RBI which had a token share of 0.4 per cent. Now, it is really a moot question, how effectively RBI is going to function as a regulator in this changed scenario. With these words, I conclude and welcome the Bill. Thank you.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Thank you. Now, Shri Manish Gupta.

SHRI MANISH GUPTA (West Bengal): Sir, I rise to support this Bill. It is quite heartening to note that after a period of 70 years, a kind of light has emerged in which it is realized that we need to invest more in agriculture and also to promote integrated rural development. I think, the move to include micro and small industries under NABARD is a welcome move and is laudable.

But at the same time, we have to see that increasing the equity from 5,000 to 30,000 crores of rupees may not be sufficient because the butter is too thinly spread and one has to take a view to see whether proper finance is reaching the small and marginal farmers. NABARD mainly operates through the rural infrastructure development fund and we have found that in the last two years, there has been a shortfall in disbursement of funds under this programme.

[Shri Manish Gupta]

Sir, NABARD can easily lend to new institutions like produce organizations and benefit a larger section of financially-excluded farmers. Agriculture contributes 17 per cent of GDP and 50 per cent of the workforce in India is in the rural sector. We have also noticed that there is paucity of proper financial arrangements for farmers' property and funds. Commercial banks and cooperatives usually lend to the larger farmer and the finance does not reach the small and the marginal farmers. They usually borrow from moneylenders. Forty-eight per cent of our farming population borrows from moneylenders, from friends, from relatives, from landlords. This increases their indebtedness. We have also taken a view that farming is a zero sum game. If there is bad crop, there is devastation, which sometimes leads to suicides. We have seen what has happened in Mandsaur. We have seen farmers coming to Delhi with skeletons of their fallen comrades. But nobody from the Government went to meet them, nor any official was able to contact them. The Swaminathan Committee has said that farmers should be given Minimum Support Price plus 50 per cent. But recently we have noticed in the imposition of the GST, the tractors and agriculture implements are being taxed at 12 per cent, tyres of those tractors are taxed at 28 per cent, fertilizer tax has increased from 1.03 per cent to 5 per cent, pesticides are taxed at 18 per cent. So, the farmer is beset with innumerable problems — indebtedness, financial exclusion, no formal credit, poor MSP and poor procurement of the crop by the Government. This entire issue has been further aggravated by the fact that this year we had a record production of 30 million metric tons of pulses. This was sufficient to meet the domestic demand. But, we have observed that the Government of India imported 7 million metric tons and the prices of pulses crashed. This has adversely affected the farmers. The farmers' income has to be doubled by 2022, as declared by the Government of India.

(MR. DEPUTY CHAIRMAN *in the Chair)*

We know that in common parlance, economic planning is described several times as a set of measures taken by the Government to achieve pre-set targets in the minimum possible time. Sir, the agriculture growth rate today is 1.8 per cent. To achieve the target of doubling the farmers' income by 2022, we have to achieve growth rate of 10.8 per cent. This shows that even if we support the farmers the way it is being done now, there has to be a sea-change in the approach towards the small and marginal farmers. Indebtedness of farmers arises from the fact that they do not get formal credit. They have to borrow at a high interest rate. This is bringing down the rate of production. This is making them

poorer. This is not supporting the national effort. Financial inclusion is the most important issue and we feel that 80 per cent of agriculture credit peculiarly is given in the months of January, February and March, that is when the harvest is almost completed. Indebtedness of small farmers is in those who constitute 86 per cent and who holds less than one hectare of land. So, Sir, I would request the hon. Minister to consider whether a separate fund or whether a special wing of the NABARD could be set up to exclusively deal with the needs of small and marginal farmers. Thank you, Sir.

SHRI PRASANNA ACHARYA (Odisha): Thank you, Mr. Deputy Chairman, Sir. I also rise to support this Bill. Basically, there are three features in this Bill. The capital of NABARD is going to be increased by six times, that is, from ₹ 5,000 crores to ₹ 30,000 crores. And whatever little share the RBI has got in the NABARD is going to merge with that of the Government of India. The share capital held by the RBI will be transferred to the Union Government. Of course, this will remove the conflict in RBI's dual role in NABARD, one as a banking regulator and, at the same time, as a shareholder. This is also a very good proposition. I welcome it.

I remember when Mrs. Gandhi was the Prime Minister of this country during 1980-81. During the 70s, there was turmoil in our country and perhaps that was one of the reasons for the creation of NABARD. Whatever capital we put into NABARD, as Mr. Neeraj Shekhar has very rightly pointed out during his speech, unless we are able to check the farmer suicide, unless we are able to check the miseries of farmers, there is no meaning in it. NABARD is not financing the farmers directly. NABARD finances farmers, other agricultural sector and small industries through other network. Unless we are able to widespread the network of loan system, we are not going to help the poor farmers of this country.

Another apprehension, which is being expressed in many quarters, is this. And I also have that apprehension. Under the 1981 Act, NABARD is responsible for providing credit and other facilities to industries having investment up to ₹ 20 lakh in machinery and plant. This is for small industries and cottage-like industries. But this amendment Bill extends this to enterprises having investment up to ten crore rupees in manufacturing sector and five crore rupees in service sector. This provision creates a doubt in my mind whether small-scale industries and industries in the tiny and decentralised sector would be neglected and more emphasis would be given to comparatively bigger industries. That is my apprehension. I would request the hon. Minister to at least dispel the doubt in his reply.

[Shri Prasanna Acharya]

Sir, NABARD, as I said, does not give loan to the farmers directly. It extends loans and assistance through cooperative banks and commercial banks. I particularly know what is happening in my State of Odisha. In my State, it is the cooperative banks which provide largest credit to the farmers. Most of the commercial banks are lagging behind in this respect. They are not at all interested in extending loan to the farmers. They are more interested in non-agricultural loan. The Reserve Bank of India and NABARD have to prescribe stricter guidelines on this.

Sir, of course, there has been a growth in agricultural credit. There is no doubt about it. During the last couple of decades, there has been growth in agricultural credit in this country. While it was ₹ 1.25 lakh crore in 2004-05, it has gone up to ₹ 8.41 lakh crore in 2014-15. Now it has perhaps reached more than ₹ 12 lakh crore. But it is a matter of concern that the share of term loan in total agricultural credit disbursement has declined steadily. And you will be surprised to know that it has declined from 39.3 per cent in 2004-05 to 19.5 per cent in 2014-15. It raises concern about sustainable growth in agricultural production and productivity. This is one of the reasons why there is agro-crisis in our country. NABARD has to come forward to mitigate this problem, although it is not directly financing the farmers.

Sir, another challenge before NABARD is to encourage capital formation in agriculture through increased share of long-term loans. As the corpus has been increased to ₹ 30,000 crore from ₹ 5,000 crore now, there should be immediate focus on irrigation projects which have potential to irrigate farm land. NABARD should take a holistic view relating to credit needs of our farmers. NABARD will be of some consequences if farmer suicide is prevented in this country. Every day there is a report of large-scale suicide by the farmers in all parts of the country and not just in a particular area. The Government has to take a serious view of it. Therefore, as I suggested, we have to increase our loan disbursing network. Even now also private lending is rampantly going on in our country, particularly in the rural areas. Private moneylenders are torturing the farmers and that is one of the reasons why more and more farmers are committing suicide.

Sir, this is a good Bill and I welcome this *in toto*.

श्री राम नाथ ठाकुर (बिहार): उपसभापति महोदय, आपने मुझे राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (संशोधन) विधेयक, 2017 पर चर्चा में भाग लेने की अनुमति दी, इसके लिए आपका धन्यवाद।

महोदय, सरकार नाबार्ड की वर्तमान अधिकृत रकम को 5 हजार करोड़ रुपए से बढ़ा कर 30 हजार करोड़ रुपए करने जा रही है। इससे नाबार्ड सशक्त होगा और विशेषकर देश के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को अधिक ऋण उपलब्ध कराने में सक्षम होगा। इससे नाबार्ड में RBI का शेयर भी केन्द्र सरकार के पास आ जाएगा। इस प्रकार सरकार नाबार्ड के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे उद्योग-धंधों और किसानों को अधिक से अधिक सहायता एवं ग्रामीण काश्तकारों, कारीगरों, हस्तशिल्पों, कुटीर उद्योगों, कृषि सिंचाई योजनाओं एवं अन्य आर्थिक क्रियाकलापों के संवर्धन और विकास के लिए उधार और अन्य सुविधाएं देने में काफी सक्षम होगी। मेरा मानना है कि सरकार का यह कदम काफी लाभदायक सिद्ध होगा और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की योजनाएँ शीघ्र पूरी होंगी, जिसका लाभ स्थानीय लोगों को मिलेगा। इससे उनकी आमदनी बढ़ेगी और आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।

महोदय, मैं बिहार प्रदेश से आता हूं। बिहार में कृषि की अपार संभावना है, किन्तु बाढ़ और सुखाड़ के कारण किसान बेहाल रहते हैं। इससे उनकी सभी लागत करीब-करीब बर्बाद हो रही है। राज्य में नाबार्ड के तहत वित्तीय वर्ष 2014-15 में 102 एवं वित्तीय वर्ष 2015-16 में 217 परियोजनाएँ स्वीकृत हो चुकी हैं, जो अभी भी पूर्ण नहीं हुई हैं। इसी प्रकार WIF योजना के अंतर्गत नाबार्ड द्वारा बिहार में 164 परियोजनाएं स्वीकृत हैं, जो पूर्ण ऋण के लिए लंबित हैं। आशा है कि इन सभी परियोजनाओं का कार्य अब अविलंब प्रारम्भ होगा।

महोदय, नाबार्ड के गठन का मुख्य मकसद कृषि क्षेत्र को मजबूत करना है। हैंडलूम, सिंचाई एवं मंझोले और छोटे उद्योगों को इससे अधिक ऋण मिलता है। आज देश में रोजगार बढ़ाने में यही क्षेत्र सबसे कारगर हो सकता है। खास तौर से देश के जो गरीब राज्य हैं, वहाँ लघु उद्योगों, छोटे और विकेन्द्रित सेक्टर में गांवों के कुटीर उद्योगों में नाबार्ड के सहयोग से बड़ा बदलाव हो सकता है। इस तरह भारत के हस्तशिल्प, ग्राम और कुटीर उद्योगों को भी नाबार्ड से भारी मदद मिलेगी। दीर्घकालिक सिंचाई योजनाओं के पूरा होने से देश के कृषि उत्पादन में इजाफा होगा। इस तरह रोजगार सृजन की स्थिति बनेगी। यह नाबार्ड संशोधन विधेयक ग्रामीण भारत और उसकी अर्थव्यवस्था को नया रूप देगा।

महोदय, मैं अपनी पार्टी की तरफ से इस महत्वपूर्ण नाबार्ड संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूं और देश की जनता की जो पुकार है, उसके बारे में एक रचनाकार ने जो कहा है, उसे आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। वह है,

"है पेट जहाँ खाली नर का,
उस घर में दीप जलेगा क्या,
जब घास न कोई देगा,
तो बूढ़ा बैल चलेगा क्या।"

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।

SHRI TAPAN KUMAR SEN: Sir, at the outset, I seek your indulgence for time. Time is too short. I need more.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Your Party time is four minutes. You can take one more minute. Take five minutes.

श्री तपन कुमार सेनः सर, ठीक है, मैं जल्दी समाप्त कर दूंगा। On the whole, I stand not to oppose this Bill. Basically, the Bill contains transfer of RBI share to the Central Government and now the Central Government is 100 per cent owner of the entire NABARD share. I am fully satisfied with this and on that count, definitely, I am supporting this Bill with a caution. Given the overall atmosphere, please do not put this into the track of disinvestment and strategic sale. That is the overall economic philosophy of the Government. Kindly save it from that. It is very crucial for rural credit, agricultural developmental credit. It is not only for the rural credit. At the same time, NABARD is meant for rural infrastructural developmental credit. It has got an umbilical relationship with the RBI and the RBI also played, all along, an important role in monitoring the working of NABARD. In that situation, when the transfer of RBI is 0.4 per cent share, whether it will act on that. I urge upon the Finance Minister to kindly take care because RBI's close association in NABARD management is of crucial importance. Given the present situation, a very perverse,—I don't have any other word—in the distribution of rural and agricultural credit in our rural India, where more than 50 per cent of the farming community are out of institutional credit, they are victims to private moneylenders. In this kind of a situation and when you are working with a declared project of making the farmers' income double till 2022, the background is that even after announcement of loan waiver, in one State alone, in a span of eight months, three thousand farmers have committed suicide. And, this is in one State alone. I don't like to name the State here. This is the background. Here, your project of doubling the farmers' income, if that is at all a serious one, needs that the whole working of the rural finance and agricultural support needs a overhauling and where NABARD can definitely play a very important role.

Now, let me put forth certain figures from the NABARD Annual Report itself. They are stating that Small and Marginal farmers' Account represents 56.9 per cent of the total accounts. But, credit flows to them is only 41 per cent. There is a mismatch. Secondly, more than 70 per cent of the agricultural credit is being disbursed by the urban branch of the commercial banks, urban centric branch of the commercial banks. It clearly shows that their reach in the remote village area is not taking place.

Number three is, small loans of ₹ 25,000 or more; this small loan in the total agricultural credit which was at one point of time, in the 90s, 61 per cent has now fallen to

6.7 per cent currently. In such a perversion in the whole credit distribution scenario, your project of doubling farmers' income needs a reversal of this trend in the fund distribution which requires much more capitalization. You have put ₹ 30,000 crore, Authorized Capital. It needs to be increased beyond this capitalization. There must be a continuous flow of funds from the Central Government and also from the RBI. The RBI has a surplus, which has been there—that was the system— all along to the NABARD, to fund this rural infrastructural thing.

Another thing you must re-consider that at present, as a supplementary source of rural credit, the regional rural banks, who were operating at the direction of a sponsored commercial bank....

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Yes, your time is over.

SHRI TAPAN KUMAR SEN: Please, please, two minutes. That completely failed to change this perversion in the distribution of the credit in the rural scenario. It completely failed. What is important here is what I already stated in this House while participating in the deliberation on the RRB Bill that the situation demands an apex bank associating with NABARD for separate distribution of only rural credit. I can assure you, Sir, given the present pattern of NPAs, the NPA from the rural areas and the NPA from the MSMEs represent less than 20 per cent of the total NPA. The entire 80 per cent of the NPA are big sharks, who breakfast and dine with who's who in the Government daily. Their faces are shown on the TV screen. It is they who steal the public money and make NPAs. These poor agricultural people and poor MSMEs are paying it back. That is their standard of integrity. Those big guys have no integrity at all. In this situation, unless you separate the whole rural credit system and set up an apex agricultural or rural credit institution separately, directly under RBI, associating NABARD and network of RRBs, definitely, this perversion in rural credit distribution cannot be effectively addressed. No element of this kind of amendment can change the perverse distribution of the rural credit unless there is a focused proactive intervention with a separate institutional arrangement. That is the only way, otherwise, *jumla* will continue of doubling the farmers' income. The Bill will be amended—we are not opposing the Bill—but, agricultural and agrarian crisis will increase, agrarian suicides will increase, and at the same time, the slogans of doubling the income of farmers will continue with a very high decibel. That is not the situation asked for and on that ground, I urge upon the Government, in this context to ensure that NABARD continues to have a very close umbilical relation with RBI so far as its leadership and management is concerned. At the same time, long-term agricultural

[Shri Tapan Kumar Sen]
credit should be increased for capital formation in agriculture and this perversion in the distribution of rural credit must be corrected with immediate proactive initiative. With these words, I have put forth my observations on the Bill before the House. Thank you.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Shri Veer Singh. Your party's time is only two minutes, but you may take four minutes.

श्री वीर सिंह (उत्तर प्रदेश): माननीय उपसभापति जी, मैं अपनी पार्टी की तरफ से इस बिल पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह विधेयक NABARD की अधिकृत पूंजी को 5 हजार करोड़ रुपए से बढ़ाकर 30 हजार करोड़ रुपए करने के लिए आया है, जिसमें RBI के परामर्श के बाद, समयानुसार वृद्धि की जा सकती है। इससे NABARD आधारित कृषि उद्योगों को लाभ मिल सकेगा। इससे ग्रामीण इलाकों में रोजगार के अवसर पैदा होंगे और छोटे-छोटे उद्यमों से जुड़े कारीगरों को रोजगार के अवसर सुलभ होंगे। NABARD को अधिक पूंजी स्वीकृत किए जाने से वह अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरी तरह से निभा पाएगा। ग्रामीण कारीगरों और श्रमिकों को स्थानीय स्तर पर काम मिलेगा और उनकी आमदनी बढ़ेगी।

महोदय, मैं किसानों की समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। छोटे एवं मंझोले किसानों को फसलों के लिए ऋण आसानी से नहीं मिलता है, क्योंकि उनकी खेती का रकबा बहुत कम होने के कारण पूंजी का अभाव होता है। ऐसे में छोटे सूबे के किसानों को ऋण दिए जाने में प्राथमिकता मिलनी चाहिए। छोटे एवं मंझोले किसान, जो अपनी किस्तें जमा कर देते हैं, उन्हें ऋण-ब्याज में छूट दिए जाने की आवश्यकता है। उन्हें सब्सिडी दी जानी चाहिए, जिससे किसानों की समस्याओं का हल हो सके।

महोदय, छोटे किसान जो कैश फसल की खेती करते हैं, उन्हें भी ब्याज में छूट देने की जरूरत है और यदिं सभव हो, तो ऐसे किसानों को ब्याज-मुक्त ऋण की सुविधा दी जाए, जिससे हमारे अन्नदाताओं में खुशहाली बढ़े। नाबार्ड के माध्यम से छोटे एवं मंझोले किसानों के लिए पंचायत स्तर पर बाजार की व्यवस्था की जानी चाहिए। किसानों के उत्पादों को स्टोरेज की भी सुविधा पंचायत स्तर पर उपलब्ध कराई जानी चाहिए, जिससे किसान अपने उत्पाद बाजार में बेच सकें। महोदय, आज खेती मज़बूरी का धंधा हो गयी है। एक समय था कि खेती को सबसे अच्छा माना जाता था, किन्तु आज लोग खेती से बच रहे हैं और व्यापार की तरफ, नौकरी की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि खेती में आज बहुत बड़ा घाटा हो रहा है।

माननीय उपसभापति महोदय, लोक सभा के चुनाव में माननीय प्रधान मंत्री जी ने चार बड़े वायदे किए थे। अच्छे दिनों का सपना दिखाया था, बेरोज़गारों को, शिक्षित बेरोज़गारों को नौकरी का वायदा किया था और गरीब लोगों को विदेशों से काला धन लाकर 15 लाख रुपए देने का वायदा किया था। जो चौथा वायदा किया था, वह किसानों के लिए किया था। किसानों की फसल पर जो लागत आती है, उसका डेढ़ गुना देने का वायदा किया था, किन्तु डेढ़ गुना तो छोड़िए, आज किसान को फसल पर जो लागत आ रही है, वह भी नहीं मिल पा रही है। आज देश में सबसे बुरी हालत यदि किसी की है, तो

किसान की है। किसान सबसे ज्यादा घाटे में है। आज किसान आत्महत्या करने पर मजबूर है। जो किसान पूरे देश के लोगों के खाने के लिए अनाज पैदा करता है, खाने के लिए सब्जी पैदा करता है, खाने के लिए फल पैदा करता है, वह सल्फास की गोली खाने के लिए, आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। हमें इस पर ध्यान देना होगा। कम से कम किसानों की तरफ हमें ध्यान देना होगा।

महोदय, मैं महाराष्ट्र की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं। महाराष्ट्र में आज सबसे ज्यादा किसान आत्महत्या कर रहे हैं। उसका कारण यह है कि महाराष्ट्र में किसान जो ऋण लेता है, वह साहूकारों से लेता है और साहूकारों का ब्याज इतना ज़बर्दस्त है, इतना ज्यादा है कि उसको वह अदा नहीं कर पाता है। उसे सरकार की योजनाओं का भी फायदा नहीं होता है। जैसे कि आज किसानों की ऋण माफी की गई है, तो जो राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, वहां से जिन्होंने लोन लिया है, उन्हीं का ऋण माफ होगा, किन्तु महाराष्ट्र का गरीब किसान ज्यादातर लोन साहूकारों से लेता है और साहूकार उस श्रेणी में नहीं आते, इसलिए उनका कर्जा माफ नहीं हो पाता है। ...**(समय की घंटी)**... इसलिए जब उसकी फसल नष्ट हो जाती है, तो वह आत्महत्या कर लेता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि उस ओर ध्यान देना चाहिए।

महोदय, हमारा देश कृषि प्रधान देश है। यहाँ 70 प्रतिशत लोग कृषि से जुड़े हुए हैं। यदि हमें देश की तरक्की करनी है, तो ...**(समय की घंटी)**...

श्री उपसभापतिः ठीक है, ठीक है।

श्री वीर सिंहः सर, मैं बस एक मिनट लूंगा।

श्री उपसभापतिः तीन मिनट ज्यादा हो गये।

श्री वीर सिंहः यदि देश की तरक्की करनी है, तो हमें गाँव की तरक्की, किसानों की तरक्की करनी होगी, क्योंकि देश की तरक्की गाँवों से, खेत-खलिहान से होकर गुजरती है। किसान खुशहाल होगा, मजदूर खुशहाल होगा, तो शहर भी खुशहाल होंगे। शहर, मजदूर और गाँव खुशहाल होंगे, तो देश तरक्की करेगा। इसलिए हमें इस ओर ध्यान देना चाहिए। जो छोटे-छोटे कुटीर धन्धे हैं, उन पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए।

महोदय, आज किसान landless होता चला जा रहा है। जो छोटे उद्योग हैं, जैसे हमने 8,000 करोड़ की व्यवस्था की है, ...**(समय की घंटी)**... तो उसमें हमें सबसे ज्यादा पशुपालन पर, दूध-डेयरी पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जमीन तो कम होती चली जा रही है। आज लोग ज्यादा मजदूर होते चले जा रहे हैं, तो हम लोगों को, हमारी सरकार को उस ओर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ...**(समय की घंटी)**... उनको ब्याज मुक्त ऋण देना चाहिए। हमें उस ओर ध्यान देना चाहिए।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. Please. That is all right.

श्री वीर सिंह : मैंने जो सुझाव दिये हैं, उस ओर माननीय मंत्री जी ध्यान देंगे। इसके साथ इस बिल का समर्थन करते हुए, मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं, धन्यवाद।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. We go to the next speaker, Shri Ram Kumar Kashyap. Your time-limit is four minutes, but you can take five minutes.

श्री राम कुमार कश्यप (हरियाणा): सर, आपने मुझे नाबार्ड बिल, 2017 पर बोलने का मौका दिया है, इसके लिए मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूं।

सर, यह बिल नाबार्ड कानून, 1981 में संशोधन के लिए लाया गया है। इसमें संशोधन के बाद नाबार्ड की अधिकृत पूँजी, जो अभी 5,000 करोड़ है, वह 5,000 करोड़ से बढ़कर 30,000 करोड़ रुपए हो जाएगी। इसके बाद जरूरत पड़ने पर यह जो पूँजी है, यह आरबीआई से सलाह लेने के बाद 30,000 करोड़ से भी ज्यादा बढ़ाई जा सकती है। इससे नाबार्ड की वित्तीय स्थिति में मजबूती आएगी और यह गांवों के लिए, किसानों के लिए ज्यादा ऋण दे सकेगा, जो हमारे देश के हित में होगा। नाबार्ड ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि एवं औद्योगिक विकास के लिए ऋण जैसी सुविधाएं प्रदान तो करता है, लेकिन इस संशोधन के बाद नाबार्ड अब गांवों में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के विकास के लिए भी ऋण दे सकेगा, जिससे हमारे गांवों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, जो गांवों के विकास में एक अहम योगदान दे सकेगा।

बिल में संशोधन के बाद नाबार्ड में आरबीआई की जो हिस्सेदारी थी, वह अब खत्म हो जाएगी। इससे केन्द्र और आरबीआई के बीच जो टकराव रहता था, वह भी खत्म हो जाएगा, इसलिए यह भी देश के हित में होगा।

नाबार्ड से गांवों का विकास होगा, किसानों को ज्यादा लोन मिलेगा, छोटे-छोटे उद्योगों के लिए लोन मिल सकेगा, जिनसे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। मैं दो सुझाव देकर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ।

सर, हमारा देश गांवों का देश है। यहां की ज्यादा आबादी गांवों में निवास करती है और उनमें से ज्यादातर यानी 70 प्रतिशत लोग खेती करते हैं, परन्तु जैसा कि माननीय सदस्य, वीर सिंह जी ने कहा है, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है कि आज खेती करना घाटे का सौदा हो गया है। आज बीज महंगे हो गए हैं, खाद महंगी हो गयी है, पेस्टिसइड महंगा हो गया है। मैं भी पीछे गांव में गया था, आज किसानों की सबसे बड़ी समस्या गेहूं में पैदा हो रहे खर-पतवार हैं। तीन-तीन बार पेस्टिसाइड डालने के बाद भी खर-पतवार खत्म नहीं हो रहे हैं। यह भी एक बहुत बड़ी समस्या है, इसीलिए हमारा किसान घाटे में चला जाता है। आज जो किसान समझदार है, ज्ञानवान है, वह अब खेती करना छोड़ दिया है और वह अपने बच्चों को लेकर शहर में चला गया है। अब खेती कौन करता है? जो गरीब मजदूर आदमी वहां पर रह गए हैं, वही खेती करते हैं। चूंकि अब खेती करना बहुत महंगा हो गया है, इसलिए मैं भी वही सुझाव देना चाहूंगा, जो वीर सिंह जी ने कहा है कि अगर हमे गांवों को आगे बढ़ाना है, किसानों को आगे बढ़ाना है, तो हमें किसानों को खेती के साथ-साथ पशुपालन करने के लिए प्रेरित करना होगा। इसके लिए माननीय मंत्री जी को मेरा यह सुझाव है कि नाबार्ड पशुपालन के लिए ज्यादा से ज्यादा डायरेक्ट लोन दे। आज हमारे देश में शुद्ध दूध नहीं मिलता है, 60 प्रतिशत दूध मिलावटी दूध है, पशुपालन को प्रोत्साहित करने से वहां पर ज्यादा डेयरीज़ लगाई जाएंगी और इससे शुद्ध दूध के उत्पादन में बढ़ोत्तरी होगी। अगर दूध के उत्पादन में बढ़ोत्तरी होगी, तो इससे किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी और वह हमारे सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद होगा।

सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री को सुझाव देना चाहता हूं कि नाबार्ड के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा लोन पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए दिया जाए। इससे गांवों में किसानों में जो बेरोजगारी है, छुपी हुई बेरोजगारी है, वह खत्म होगी। जो हमारे नौजवान भाई, लड़के हैं, बच्चे हैं, आज वे छोटी-छोटी नौकरी करने के लिए तरस रहे हैं, वे contract basis पर, outsourcing base पर लगने के लिए तैयार हैं, इसलिए अगर उनकी बेरोजगारी को खत्म करना है, तो गांवों में पशुपालन को बढ़ावा देना होगा और इसमें नाबार्ड बहुत अहम योगदान दे सकता है। जो ज्यादा पैसा बढ़ाया गया है, अगर उसको पशुपालन को बढ़ाने में लगाया जाएगा, तो यह ज्यादा अच्छा होगा। ...**(समय की घंटी)**...

सर, मेरा दूसरा सुझाव यह है कि अब नाबार्ड का जो एक नया बोर्ड बनेगा, उसमें कम से कम राज्य सभा के दो एमपीज़ भी लिए जाएं। धन्यवाद।

SHRI D. RAJA (Tamil Nadu): Sir, NABARD, the National Bank for Agriculture and Rural Development, was established in 1981 by an Act of Parliament. The Statement of Objects and Reasons of the present Bill makes it very clear, 'with its expanding activities, the National Bank needs to be provided with additional equity from time to time to enable it to meet its objectives of promoting rural development and sustainable rural prosperity.' Then, it goes on to state, 'The Reserve Bank of India holds 0.4 per cent of the paid-up capital of the National Bank and the remaining 99.6 per cent is held by the Central Government and this causes conflict in Reserve Bank of India's role as banking regulator and shareholder in the National Bank." Then it goes on to state, 'to empower the Central Government to increase the authorized capital of the National Bank from ₹ 5,000 crores to ₹ 30,000 crores and further to increase the said amount of ₹ 30,000 crores in consultation with the Reserve Bank of India as deemed necessary from time to time." Taking this into consideration, I would like to raise a couple of questions, pointed questions which the Government needs to respond, needs to answer. For instance, so far the original Act provides the Government and the RBI together should hold a minimum of 51 per cent of the capital in NABARD. Is there any proposal to increase the capital? The Government should be maintaining minimum 51 per cent of the capital in NABARD. At the face of it, it looks very simple to me. Will it enable NABARD to sell its share capital up to 49 per cent to private hands? This is my doubt. The Government should clarify as to what is the intention of the Government. Today there is no private capital in NABARD. Is it the idea of the Government to increase the share capital by allowing private shareholding in NABARD? This is number one. Number two, if it is so, it should be abandoned. NABARD has an important role in monitoring and regulating agricultural and rural credit. It should be totally owned by the Government. I would like to seek clarification from the Government whether the Government wants to dilute the share capital in NABARD. Unless NABARD is strengthened, you cannot talk about

[Shri D. Raja]

6.00 P.M.

rural prosperity, you cannot talk about expanding rural activities, you cannot talk about doubling the income of farming community, you cannot talk about providing minimum support price to the farmers, you cannot talk about increasing the number of working days for agriculture workers. What is the intention of the Government? The Government should be clear in what it does. It is ail right that the Parliament will pass the Bill, but what are going to be the implications? How is it going to impact the life of the farming community in our country? How is it going to generate employment in rural areas, how NABARD is going to play a proactive role in building rural economy? That is what the Government should explain. This is what I want to know from the Government and I want a serious review of Government policies. The Government should explain these things to people and the country. All the time we talk about NABARD. Finally, what is NABARD? How is it helping the farming community? Why is it not helping the farming community? What are the difficulties NABARD is facing? You should explain it to the Parliament and to the country. I think there are strong apprehensions that you will allow NABARD to go into private hands and you will see that the NABARD is diluted. If it happens that will be a calamity for our rural economy and for the country. The Government should keep this in mind. With these words, I conclude. Thank you, Sir.

श्रीमती रजनी पाटिल (महाराष्ट्र): सर, यहाँ पर अमेंडमेंट के लिए जो नाबार्ड का बिल पेश किया गया है, उसके विषय में मैं अपने विचार यहाँ रखने के लिए खड़ी हुई हूं और मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कुछ सूचनाएँ शेयर करना चाहती हूँ।

सर, राष्ट्रीय कृषि और औद्योगिक विकास बैंक **(संशोधन)** बिल, जिस पर आज इस सभागृह में चर्चा हो रही है, उस नाबार्ड के लिए मैं कुछ शब्द कहना चाहूंगी। यह एक ऐसी संस्था है, जिसको अगर हम भारतवर्ष की अर्थवाहिनी कहें, तो गलत नहीं होगा। ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We will take one more hour and pass this Bill. I hope the House agrees.

SOME HON. MEMBERS: Yes.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We will sit for one more hour and pass this Bill.

श्रीमती रजनी पाटिल: सर, इस देश के ग्रामीण लोग, किसान, हथकरघे पर काम करने वाले आर्टिजन्स, इन सबके लिए एक जरूरी इन्फ्रास्ट्रक्चर, जिसको आधारभूत सुविधा कहते हैं, वह देने वाली यह एक संस्था है। सर, जब रूरल डेवलपमेंट की बात आती है, तो नाबार्ड ने पहले वॉटरशेड में काम किया था। मुझे याद है कि नाबार्ड ने पहली बार महाराष्ट्र में जर्मनी गवर्नमेंट के माध्यम से

वॉटरशेड डेवलपमेंट का काम शुरू किया था। जब लोग इरिगेशन और सिंचाई की बातें करते थे, तब नाबार्ड ने वॉटरशेड की बात की थी। सर, यह बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे महाराष्ट्र में इरिगेटेड इलाका ज्यादा है और वहां सिर्फ इरिगेशन नहीं, बल्कि वॉटरशेड की बहुत आवश्यकता है, यह पहली बार नाबार्ड ने जान लिया था। जब लोग खेती की बात करते थे, तब नाबार्ड ने नॉन-फार्मिंग सेक्टर या रूरल मार्केटिंग का काम शुरू कर दिया था, जिसका परिणाम आज हम हिन्दुस्तान में देख रहे हैं।

सर, मुझे नाबार्ड के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह लगती है कि जब आरबीआई ने वर्ष 1992 में माइक्रो फाइनेंस शुरू किया, जब महिलाओं के लिए सेल्फ-हेल्प ग्रुप्स शुरू किए, तो हमारी महिलाओं में एक बहुत बड़ी क्रांति पैदा होने की शुरुआत हो गई थी। महिलाएँ जब तक आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होती हैं, तब तक हमें ऐसा नहीं लगता कि किसी भी महिला का सबलीकरण हुआ है। उसको लेकर इस देश में कम से कम लाखों बचत-घर, जिसको सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बोलते हैं, तैयार हो गए हैं, जिनके माध्यम से महिलाएँ आर्थिक रूप से अपने पैरों पर खड़ी हो गई हैं। जब तक महिलाओं को साथ नहीं लेंगे, उनकी इन्क्लूसिव ग्रोथ नहीं करेंगे, तब तक यह समाज आगे नहीं जा सकता है। एक बार महात्मा गांधी ने कहा था कि जब तक हम महिलाओं का सम्मान नहीं करेंगे, उनको साथ नहीं लेंगे, तब तक समाज में कोई भी बदलाव अधूरा रह जाएगा।

सर, मंत्री जी ने यहाँ पर प्रस्ताव रखा है कि उसके शेयर का प्रतिशत था, जो पहले 5,000 करोड़ रुपए था, उसको बढ़ाकर 30,000 रुपए किया जाना चाहिए और यह आरबीआई के सहयोग से किया जाना है। मैं समझती हूं कि यह बहुत ही अच्छा प्रस्ताव है। इसका कारण यह है कि इससे नाबार्ड की borrowing capacity में बढ़ोत्तरी हो जाएगी और इसके द्वारा ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम होगा। लेकिन, उसमें हम कुछ सुझाव भी देना चाहते हैं।

सर, नाबार्ड में थ्री-टीयर सिस्टम होता है। सर, महाराष्ट्र इन चंद सालों में अगर किसी चीज़ के लिए जाना जाता है, तो वह सिर्फ इसीलिए माना जाता है कि महाराष्ट्र में किसानों द्वारा आत्महत्याएँ की जाती हैं। यह नाबार्ड ही एक संस्था है, जो किसानों को पैसे देकर उनकी सहायता करने का काम करती है। वह उनको डायरेक्ट पैसे नहीं देता, लेकिन उसका जो थ्री-टीयर सिस्टम है, उसके माध्यम से वह उनको पैसे देता है। किसानों तक वह पैसा राज्य बैंक, जिला बैंक और सोसायटीज़ के माध्यम से पहुंचता है, लेकिन इसमें अधिक स्पष्टता और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ताकि आखिरी आदमी तक यह मदद अच्छी तरह से पहुंचे। सर, जिला में सहकारी बैंकों की स्थिति बहुत खराब है। बहुत-सी जगहों पर उनको बन्द करने के किस्से सुनाई देते हैं। उनके लिए भी नाबार्ड की ओर से आरबीआई के सहयोग से कुछ उपाय करने जरूरी हैं।

सर, आपको मालूम है कि महाराष्ट्र में शुगर फैक्टरीज़ का बहुत बड़ा जाल फैला हुआ है। शुगर फैक्टरी का एक ऐसा बिजनेस है, जिसमें नाबार्ड के थ्रू महाराष्ट्र सहकारी जिला बैंक से री-फाइनेंस, री-इनवेस्टमेंट होता है। सर, यह सच है कि हमारे यहाँ कभी बाढ़ आती है, कभी अकाल आता है, कभी पानी ही नहीं रहता, रेलवे से पानी लाना पड़ता है, तो कभी हमारे यहां गन्ने का इतना excessive production होता है कि किसानों को उसे फेंक देना पड़ता है। सर, मुझे बहुत दुःख के साथ यह बोलना पड़ता है कि इस बार, इस सरकार ने बहुत बड़े पैमाने पर शुगर को इम्पोर्ट कर लिया है, जिसके कारण

[श्रीमती रजनी पाटिल]

शुगर के रेट्स बहुत गिर गए हैं। फिर शुगर फैक्टरीज़ कैसे चलेंगी? शुगर फैक्टरीज़ ने तो नाबार्ड से फाइनेंस लिया होता है और नाबार्ड जब तक one time settlement नहीं करता, इसमें दिक्कत होगी, ...**(समय की घंटी)**... सर, सिर्फ एक मिनट... क्योंकि उसको गवर्नमेंट की गारंटी होती है। इसलिए हम आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहेंगे कि इस सिस्टम को बदलने की आवश्यकता है। चाहे शुगर हो, onion हो या कॉटन हो, इसमें market में fluctuation होता है। उनको अच्छी मार्केट मिले, इसके लिए आपको कोशिश करनी चाहिए। नाबार्ड के माध्यम से डिजिटाइजेशन करके उसको क्रिस्टल क्लियर करने की आवश्यकता है। हैंडलूम सैक्टर है, ट्राइबल है और ट्रेडिशनल आर्टिजंस है, उसके यहां ध्यान देना जरूरी है। सेल्फ हेल्प ग्रुप, जो मैंने मुद्दा उठाया था, सेल्फ हेल्प ग्रुप में महिलाएं इतने बड़े पैमाने पर आती हैं, लेकिन उनको backward linkage and forward linkage आजकल नहीं मिल रहा है। नाबार्ड के माध्यम से भी उनको मदद करना जरूरी है। इस तरह से नाबार्ड से बहुत बड़ी आशा लेकर यह जो हम कृषि क्षेत्र का प्रतिनिधित्व बढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो यहां इस देश के गरीब किसानों को, महिलाओं को, हथकरघे पर काम करने वाली महिलाओं को आर्टिजंस को एक मदद मिल जाएगी, यही अपेक्षा मैं नाबार्ड में रखते हुए अपनी बात को विराम देती हूं, धन्यवाद।

DR. VIKAS MAHATME (Maharashtra): Mr. Deputy Chairman, Sir, we are all aware that NABARD is a premier institute financing rural India and plays a major role in rural economy. I shall not talk more about NABARD, because everybody knows about it. But, I would like to congratulate the hon. Finance Minister, Shri Arun Jaitley ji and Shri Shukla ji, for increasing the capital of NABARD by six times. Previously, the capital was ₹ 5,000 crores and now it is proposed to increase to ₹ 30,000 crores. It is a great jump. It can be more than ₹ 30,000 crores if it is sanctioned from the Reserve Bank of India.

Sir, with this, NABARD will play a major role since its capital adequacy ratio will be better. And, the lending capacity of bank will also become better. It helps in improving rural economy. Youth from rural areas will get more jobs in rural areas. So, migration of youth from rural to urban areas will be less. I think, getting jobs for rural youth is a very important part played by NABARD because of increase in its capital.

I wish to make a suggestion with regard to disbursement of loan. The loan facilities which are provided to farmers are through primary agriculture co-operative societies. These are working very well in States like Maharashtra and Karnataka, but in some States there has been misappropriation of funds.

There is another organization called Farmer Producer Company. Companies are registered under the Companies Act. So, they will have to submit their income-expenditure and other records annually and there is a strict control over companies. So, the chances of misappropriation of funds by companies are always less. So, I personally feel, the farmer

producer companies should get preference over co-operative societies in getting loans for farmers. And, I strongly feel that Farmer Producing Company should be promoted.

Another suggestion is on distribution of loans. Gadchiroli and Nandurbar districts in Maharashtra get less loan disbursement as compared to other districts of Maharashtra. Similarly, some North-Eastern States also get less disbursement of loans from NABARD. I personally feel that priority should be given to those districts and States where loan disbursements earlier were very less. This will help to bring everybody on an equal platform.

Another point I wish to state is that there is a need for increasing irrigation facilities. Whilst NABARD funds flow into rural areas, water will also flow हमारा एक नारा है, "हर खेत को पानी" and that will be possible only through this Bill. So, I support this Bill. The increase in capital helps NABARD to lend loan for irrigation purpose. We all know that the hon. Water Resources Minister, Shri Nitin Gadkari, will be able to use this money for improving irrigation all over India.

I want to raise another issue. The basic need of farmers — it has been raised by everybody — is hand loan. हमेशा किसान कहता है कि मुझे अभी आप पैसा उधार दीजिए, मैं तीन-चार महीने में वापस कर दूंगा, जब फसल आएगी।

But there is no Government machcinery which can provide loan to a farmer in three, four days. That is why he has to approach the private money lenders. As we all know, once he goes to the private money lenders, he gets trapped into high interest and he never comes out of that. So, I personally feel if we have any project in which money lending is done in three, four days and hand loan will be made available to the farmers, this will save farmers from committing suicides. आज हम एग्रीकल्चरल इन्फ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो इसमें बहुत इम्प्रूवमेंट की जरूरत है और इन्वेस्टमेंट की भी बहुत जरूरत है। मैं यदि एक किलो चावल फ्लिपकार्ट से या अमेज़न से खरीदना चाहता हूं, तो वे लोग मुझे बता सकते हैं कि वह मेरे घर पर कितने बजे, कौन से दिन पहुंचेगा। They can tell us from which store it will be sent, by which road, by which vehicle and who will deliver that at my house. यह सब इसीलिए होता है, क्योंकि उनके पास इन्फ्रास्ट्रक्चर है, स्टोरेज कैपेसिटी है, स्टोरेज के लिए गोदाम उनके पास रहता है, चेन मैनेजमेंट है और आई.टी. प्लेटफार्म है। हमें भी ऐसा करना चाहिए। जब किसान अपनी फसल को बाजार में बेचने के लिए ले जाता है, तो उसे पता नहीं होता कि क्या भाव मिलेगा, वह किस भाव में फसल को बेच पाएगा? इसीलिए हमारी स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाई जाए। इस बिल के पास हो जाने पर नाबार्ड के माध्यम से लोन हम अच्छी तरह से दे पाएंगे, चेन मैनेजमेंट और आई.टी. नेटवर्क भी हम लोगों को दे पाएंगे। ...**(समय की घंटी)**... मैंने एक आई.टी प्लेटफार्म देखा था, एम-कृषि का देखा था, जो कि बहुत अच्छा था, गवर्नमेंट ने भी उसकी सराहना की है, लेकिन वह अभी तक किसानों तक

[Dr. Vikas Mahatme]

पहुंचा नहीं है। In short, I would like to say that previously there was a consistency with the Companies Act, 1956. But, now, with this new amendment, the consistency will be with the Companies Act, 2013. So, the farmer producer companies or big farmers will be able to use the facilities of future trading in the SEBI, because farmer producer companies, organisations will be able to participate in Bombay Stock Exchanges or other exchanges more easily because it is in consistency with the Companies Act, 2013.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. Please conclude.

DR. VIKAS MAHATME: Then, Sir, as regards this Bill, the RBI had a .4 per cent share holding. Since it was the regulatory body as well as the owner of the NABARD, there was a conflict of interest. It is good that the Government has purchased those shares. I personally feel that because of all this हमारा जो बिल है, इसके जरिए से rural economy और strong हो जाएगी, युवा वर्ग को काम मिलेगा, सिंचाई क्षेत्र बढ़ेगा, इसलिए मुझे लगता है कि किसान की आय दुगनी हो सकती है। ...**(समय की घंटी)**... जो हमारे प्रधान मंत्री जी का नारा है और प्रधान मंत्री का जो सपना है, वह सच हो सकता है, इसलिए मैं इस बिल को सपोर्ट करता हूं।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you Mahatmeji. Now, Shri Rajeev Shukla.

श्री राजीव शुक्ल (महाराष्ट्र): उपसभापति जी, सबसे पहले तो मैं शुक्ला जी को बधाई देता हूं कि वे पहले बिल को पायलेट कर रहे हैं, इसके लिए उनको बहुत-बहुत बधाई।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shuklaji, you have only five minutes.

श्री राजीव शुक्लः हम नाबार्ड बिल का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि श्रीमती इंदिरा गांधी का विज़न था, उन्होंने नाबार्ड को 1981 में शुरू कराया था, किसानों की मदद का, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मदद का। नाबार्ड की शुरुआत 100 करोड़ रुपये से हुई थी। ...**(व्यवधान)**... बाद में वह 5,000 करोड़ रुपये का हुआ और आज इसको सरकार 30,000 करोड़ करने जा रही है, जो कि एक अच्छा कदम है और इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मदद मिलेगी, किसानों को मदद मिलेगी, कुटीर उद्योग-धंधों को मदद मिलेगी, इसलिए हम इसको सपोर्ट करते हैं।

सर, जहां तक ट्रांसफर की बात है, आरबीआई का 0.4 परसेंट था, उन सारे शेयर्स को गवर्नमेंट 20 करोड़ में खरीदकर उसको अपने अधीन ले रही है और 51 परसेंट गवर्नमेंट की ईक्विटी होने जा रही है। यह अच्छी बात है कि गवर्नमेंट इसको संचालित करे, लेकिन इसमें एक चीज़ देखने की बात है। आरबीआई के रेगुलेशन्स होते हैं, आरबीआई की अपनी मॉनिटरिंग होती है और उस हिसाब से वे इस तरह की संस्थाओं को पूरा रेगुलेट करते हैं, जो इस तरह का क्रेडिट देने का काम करते हैं। अब मेरा आपसे आग्रह है कि अब उसको रेगुलेट कौन करेगा, कौन इसको मॉनिटर करेगा? पहले वे आरबीआई की गाइडलाइन्स के तहत होते थे। अब जब रिज़र्व बैंक का आप बिल्कुल इसमें से स्टेक हटा दे रहे हैं, तो आप कैसे इसको मॉनिटर करेंगे, कैसे इसको रेगुलेट करेंगे, इसका मुझे माननीय

मंत्री जी से जवाब चाहिए। सर, इस में इंदिरा गांधी का यह मूलभूत concept था कि इस से किसानों, कुटीर धंधों और ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े उद्योग-धंधों की मदद हो, लेकिन अब इस में एस.एम.ई. सेक्टर भी आ रहा है यानी Medium, Small Scale Industries भी आ रही हैं। इसीलिए मंत्री जी, इस में देखने की बात यह है कि कहीं कॉरपोरेट जगत इस का फायदा न ले ले क्योंकि इस के अंतर्गत सस्ते लोन मिलते हैं। अब आप इस में 10-20 लाख की सीमा को बढ़ाकर 10 करोड़ करने जा रहे हैं, तो कहीं Medium industries इस का लाभ न ले ले और इस का लाभ किसानों और ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था को जाना चाहिए, वह लाभ उन्हें मिल जाए, यह चीज आप को ensure करनी पड़ेगी क्योंकि किसानों और ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था के लोगों के पास इस के अलावा दूसरा कोई जरिया नहीं है। ये बड़े-बड़े nationalized banks, corporate banks, private banks उन्हें लेने नहीं देंगे और न उन की कोई मदद करेंगे। इसलिए देखने की चीज यह है कि किसानों और ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था से जुड़े लोगों का जो एकमात्र सहारा है, कहीं ऐसा न हो कि उनसे यह सहारा भी छिन जाए और इस में भी वही सेक्टर घुस जाए, जो बाकी private और nationalized banks से लोन ले रहा है। इसलिए आप को वह चीज भी ensure करनी पड़ेगी कि किसानों का हक न मारा जाए क्योंकि इस में Self-help Groups बड़ी मदद लेते हैं। मेरे हिसाब से आप ऐसा करिए कि नाबार्ड का पूरा फोकस Rural Development पर ही रहे। आप को इस चीज को देखना पड़ेगा कि वह कहीं उस से अलग न होने पाए क्योंकि आज पूरे देश में किसानों की हालत बहुत बुरी है। महोदय, चाहे खाद, बीज की बात हो या उन्हें subsidy देने की बात हो, उन सब चीजों में इनका बुरा हाल है।

तीसरी बात, इस में सिंचाई की सुविधा को भी जोड़ा जा सकता है। मेरा एक सुझाव यह भी है कि आप बजाय किसी आई.ए.एस. ऑफिसर के आर.बी.आई. के डिप्टी गवर्नर को इस का चेयरमैन बना दीजिए ताकि इस का regulation और monitoring ठीक से होती रहे। महोदय, मैं आखिरी बात यह कहना चाहूंगा कि नाबार्ड का पैसा नीचे तक पहुंचे, इस बात की व्यवस्था होनी चाहिए। मैं Plannning Commission में रहा हूं और देखने में यह आता है कि लाखों करोड़ रुपए इस क्षेत्र को जाता है, लेकिन वह नीचे कहां जाता है, यह पता नहीं चलता। आप गांव में जाकर किसानों से पूछें तो वे बताएंगे कि किसानों को तो कर्ज़ भी नहीं मिल पाता। आप तो खुद गोरखपुर में देखते होंगे कि नीचे तक पैसा नहीं पहुंचता, यह एक बहुत बड़ी समस्या सारी सरकारी योजनाओं और बैंकों की खास तौर से है। ये लोग उन्हें बहुत तंग करते हैं। हालांकि उस में दिल्ली में बैठी सरकार का कोई दोष नहीं है क्योंकि यहां से rural development, rural economy और किसानों व मजदूरों के लिए बाकायदा पैसा भेजा जाता है, लेकिन वह नीचे तक नहीं पहुंचता। आप यह व्यवस्था जिस दिन बना लेंगे कि यह पैसा नीचे तक पहुंच जाए, आप समझ लें कि आप की समस्या का हल हो गया। फिर किसानों के गांव, सोने के गांव हो जाएंगे। महोदय, नीचे तक न नाबार्ड का पैसा पहुंच पाता है, न आप के द्वारा दूसरी योजनाओं में दिया गया पैसा पहुंच पाता है। इसलिए इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है कि जब आप इन्हें 30 हजार करोड़ रुपए दे रहे हैं, तो आप ensure करिए कि कम-से-कम 80 परसेंट पैसा तो उन तक पहुंचे। आप से छोटे-छोटे किसान और मजदूर लोग मांगते हैं, लेकिन बैंक वाले उन्हें भगा देते हैं। भले ही कोऑपरेटिव बैंकों का फायदा महाराष्ट्र और गुजरात के किसान ले रहे हों, लेकिन यू.पी., बिहार और इधर के लोगों को बड़ी परेशानी है। इसलिए आप ये जो पैसा दे रहे हैं, यह एक अच्छा कदम उठा रहे हैं, लेकिन यह नीचे तक पहुंचे, इस के लिए आप जरूर प्रयास करें। हमारा इस पर पूरा समर्थन है और हम इस के साथ हैं, धन्यवाद।

SHRI ANIL DESAI (Maharashtra): Sir, I rise to support the National Bank for Agriculture and Rural Development (Amendment) Bill, 2017.

Sir, the National Bank for Agriculture and Rural Development, that is, NABARD, was basically created for providing and regulating credit and other facilities for the promotion and development of agriculture, small scale industries, cottage and village industries, handicrafts and other rural crafts and allied economic activities in rural areas for promoting integrated rural development and thereby securing prosperity of rural areas.

Sir, this Bill basically aims to amend the NABARD Act, 1981 to increase the authorized capital of the Bank from ₹ 5,000 crores to ₹ 30,000 crores to enable it to meet its objectives.

The other thing is, the RBI is holding 0.4 per cent of the paid-up capital of the Bank which, RBI being a Regulator and Bankers' Bank, was causing conflict of interest in the RBI's role as a banking regulator and shareholder in NABARD. So, that is also being regulated..The Government is taking over and paying the face value of the transaction which comes to ₹ 20 crores to the RBI, and the entire holding will be of Government. This legislation thereby paves the way for taking up rural activities with such a pace that real development as far as the farming community is concerned, and the hon. Prime Minister's prime objective that the farmers' income is doubled by 2022 is realized. I think this legislation would play a pivotal role in reaching the objectives. This Bill allows NABARD to raise the limits of credit. It promotes credit and other facilities to micro enterprises with an investment up to ₹ 25 lakhs. Where hitherto the investment was up to ₹ 20 lakhs, investment limit is being raised from ₹ 5 crore to ₹ 10 crore. Similarly, in the service sector also the investment limits have been increased. That would help the micro, small and medium enterprises to run their activities. This legislation would certainly pave the way for generation of employment in the rural areas. The main service sector for the banks being the rural areas, the local/official language should be the medium of instruction as far as doing business is concerned, since the activities would be specifically in the rural areas and the focal point of the business would be the farmer. So, in every State having its regional language, which is also termed as the official language of the State, the business needs to be conducted in that language. I hope the hon. Finance Minister would ensure that for conducting business the medium of instruction is the local language of the State.

Similarly, NABARD should ensure presence of one nodal agency of its own in each district of the State to facilitate further lending with the cooperative banks and other financial institutions where the network is such that the lending percolates right up to the beneficiary, that is, the farmer, and to see to it that other well known practices in the rural

areas are curtailed, like going to the private moneylender after which his entire future comes under a cloud. So, I think this legislation would pave way for all these activities and rural development in the real spirit would be the order of the day. NABARD, with its set objectives and appropriate measures, would be able to achieve it and by 2022, the hon. Prime Minister's ambitious dream of doubling farmers' income would be achieved through this legislation. Sir, I support this Bill. Thank you very much.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you. Now, Shri V. Vijayasai Reddy.

SHRI V. VIJAYASAI REDDY (Andhra Pradesh): Thank you, Mr. Deputy Chairman, Sir.

Sir, the NABARD (Amendment) Bill, 2017 envisages an additional inflow of capital of more than ₹ 25,000 crores. I have faithfully perused this Bill and I understand that it is only an enabling provision; it is not a mandatory provision. I hope the Minister of State for Finance, sitting here, would come back to this House with an Appropriation Bill, starting with the present Budget itself, to the extent of more than ₹ 25,000 crores, even though it is inadequate to meet the agrarian crisis that plagues India. So, let me repeat, it is an enabling provision. There has to be an appropriation to the extent of an additional ₹ 25,000 crores, as suggested in this Bill.

Sir, I have four concerns and three suggestions that I wish to make in this regard. I draw your kind attention to the National Sample Survey Organization which has reported the situation. It has been reported by the National Sample Survey Organization that institutional credit has consistently been coming down since 1991 till 2013. In fact, in 1991, the institutional credit was approximately 69.4 per cent whereas it has come down in 2013 to 56 per cent. A fall of approximately 15 per cent is really sizable and we are all concerned with that. Alternatively, on the other hand, the non-institutional credit, that is, private moneylender's credit, which was 30.6 per cent in 1991, has gone up to 44 per cent. The increase in non-institutional funding is really significant and alarming also. Therefore, I request the Government of India to take cognizance of it and increase the institutional funding to the farming sector. Coming to Andhra Pradesh, I draw your kind attention to the fact that there are approximately 7.56 lakh pure tenant farmers and 24.37 lakh are owner-cum-tenant household farmers. Out of total suicides by farmers, 50 per cent of the farmers who are committing suicides are only tenant farmers. Therefore, you will have to address the problem of tenant farmers also, not owner farmers alone. My suggestion in this regard is that you will have to increase the institutional funding for the farming sector to meet the agrarian crisis. Sir, my second point is related to increasing indebtedness of farmers. This is what my observation is.- The same National Sample Survey Organisation reported the worsening situation of indebtedness of farmers in India. Sir, the indebted farm households in India, as of today, are about 51.9 per cent and the

[Shri V. Vijayasai Reddy]

indebted households in Andhra Pradesh are 93 per cent, whereas the national average is only 51.9 per cent. In Andhra Pradesh, indebted farm households are to the extent of 93 per cent which is very alarming. Average outstanding debt of a cultivator household in Andhra Pradesh is ₹ 1,23,000 which is really alarming. Why is this indebtedness? This indebtedness is on account of non-availability of institutional credit and these farmers are borrowing from private financers who are charging exorbitant rates of interest to the extent of 24 per cent to 28 per cent or 30 per cent. This situation has to be addressed. I request the hon. Minister of State of Finance to address this problem and make the credit available to the farmers. Sir, the third important point is regarding complementing credit with knowledge dissemination. Sir, in fact, NABARD has decided to lend — I hope, this is what the information I have collected —not only to the farmers through banks but also to the research organizations and also to the farmers who are conducting the research. This has to be complimented and it is a good thing. You will have to increase the funding to the research organizations and to the farmers conducting the research. My last point is related to high interest rate. The system which is being followed by the bankers for non-agricultural sector is Marginal Cost of Funds based Lending Rate, which is called MCLR. The MCLR adopted by the RBI is such a system which forces lenders to readjust their lending rates monthly based on the repo rate changes and certain other parameters. I hope NABARD also would implement the same and the Government of India need to consider this. I hope that the Ministry of Finance would address these problems. I am concluding and supporting this Bill. Thank you.

SHRI ANANDA BHASKAR RAPOLU (Telangana): Respected Deputy Chairman, Sir, I salute the grand great memory of Indira Gandhiji, whose 100th birth anniversary was celebrated on November 19. She was the Prime Minister who conceived and enacted this law in 1981 and this led to establishment of the National Bank for Agriculture and Rural Development, with Mumbai as its headquarters, in 1982. From then on, the saga of the National Bank for Agriculture and Rural Development Bank is the saga of success and it has become the household name among the agricultural, rural and co-operative credit agencies. Then, in 2011, during the UPA Government, we had decided to infuse ₹ 30,000 crores into NABARD for strengthening its financial and financing capacities.

Sir, I appreciate the present Government for taking up and initiating the increasing of the paid-up capital from ₹ 5,000 crores to ₹ 30,000 crores. But times are changing. Transformation is wide. NABARD is being assigned very many and a variety of tasks. Basically, it has the mandate of re-financing, but it is looking after the health and capacity of the regional rural banks. It is also a caretaker of co-operative credit structure and credit revival. Keeping these factors in mind, with the additional responsibilities of financing irrigation and housing projects, we need to have a special focus to save NABARD in its

capacity. If we study the health and capacity of the China National Rural Bank, it is one of the world's largest banks having the capacity to cater to the budgetary needs of China, this NABARD is not growing on par with that expansion. However, it is the successful story of NABARD, which has great impact on State Governments' rural development-oriented projects.

Sir, I have special pleasure and my appreciation is on record to the present Government for including handlooms in the financing responsibility of the NABARD. With the times' transition, you are rightly changing the nomenclature from small-scale industries, cottage and village industries to micro enterprises, small enterprises and medium enterprises, cottage and village industries and handlooms. I welcome it. We did not have the backup support. Being the son of the weaving community, being the son of the weaving occupation, being the son of the weaving profession, I take extraordinary pleasure for strengthening us, empowering us. Our handloom sector will definitely feel safe with the re-financing support of this NABARD through this enactment.

At the same time, I have my apprehension and I re-emphasise that the micro enterprises, the small enterprises, the medium enterprises shall invariably be under the Agricultural and Rural Development and rural enterprise orientation only. Otherwise, it will be going into the hands of the corporates, those who have the urban and semi-urban orientations.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude now.

SHRI ANANDA BHASKAR RAPOLU: Keeping in view the burden of NABARD to look after 140 Regional Rural Banks and to cater to the needs of cooperative sector, I have one request. Yes, all the States are looking towards NABARD for its support. Likewise, my State, Telangana, is also looking towards NABARD for support.

I request the Union Government and the Union Finance Ministry to encourage NABARD to finance, as promised, to the cleaning of Musi river, which also will give safe water to Hyderabad and its surroundings. Besides that, you are going to finance irrigation projects to the tune of 77,000 crores of rupees. In that, 11 projects are from Telangana, for which NABARD has assured to give 7,000 crores of rupees. Apart from expeditious decisions, I expect that several projects which are being contemplated by NABARD shall be agriculture and rural development-oriented only. With this suggestion and advice, I appreciate, welcome and support this Bill. Thank you very much.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you. Now, hon. Minister, Shri Shiv Pratap Shukla.

श्री शिव प्रताप शुक्लाः माननीय उपसभापति जी, डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी साहब यहाँ मौजूद नहीं हैं। उन्होंने इस विषय के प्रवर्तन के समय इस बात को कहा था कि सहकारिता के क्षेत्र में नाबार्ड से भी धन देना चाहिए। उनके चर्चा शुरू करने के बाद नारायण लाल पंचारिया जी, नीरज शेखर जी, एन. गोकुलकृषणन जी, मनीष गुप्ता जी, प्रसन्न आचार्य जी, राम नाथ ठाकुर जी, तपन कुमार सेन जी, वीर सिंह जी, राम कुमार कश्यप जी, डी. राजा जी, श्रीमती रजनी पाटिल जी, डा. विकास महात्मे जी, राजीव शुक्ल जी, अनिल देसाई जी, विजयसाई रेड्डी जी और आनंद भास्कर रापोलू जी ...

श्री उपसभापतिः सब लोगों ने इसे support किया है, और क्या चाहिए?

श्री शिव प्रताप शुक्लाः सभी लोगों ने इस बिल का support किया है और साथ-साथ मुझे भी support किया है, क्योंकि मैं पहली बार यहाँ बिल रख रहा हूं।

श्री उपसभापतिः हमारा इसको पूरा support है।

श्री नीरज शेखरः मेरा सबसे ज्यादा support है।

श्री जयराम रमेश (कर्नाटक): सर, वे back bench से front bench पर आ गए हैं।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Yes, yes. That is destiny. Bank bencher front bench पर आएँगे और front bencher back bencher भी हो जाएँगे।

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री प्रकाश जावडेकर): लेकिन वे वहीं के वहीं रहेंगे।

श्री उपसभापतिः इधर से उधर भी जाएँगे, उधर से इधर भी आएँगे।

श्री प्रकाश जावडेकरः वे वहीं के वहीं रहेंगे।

श्री उपसभापतिः दोनों हो सकता हैं। इधर से उधर और उधर से इधर हो सकता है।

श्री शिव प्रताप शुक्लाः सर, नीरज शेखर जीने अपनी बात रखी थी, मैं उसका स्वागत करता हूँ। जहाँ तक उन्होंने NPA के संदर्भ में जो कहा था कि नाबार्ड का NPA कितना है, तो चूंकि नाबार्ड बैंकों को ही पैसा देकर विभिन्न माध्यमों से, चाहे किसान हो, चाहे MSME हो, उनको ही पदोन्नत करता है, इस नाते उसको पैसा बैंक से लेना है। ऐसी स्थिति में उसके NPA का कोई सवाल ही नहीं उठता है।

श्री नीरज शेखरः क्या बैंकों से नाबार्ड के पास सारा पैसा वापस आ जाता है?

श्री शिव प्रताप शुक्लाः हाँ, धीरे-धीरे आ जाता है। अब तो इसी नाते और भी काम कर दिया गया है।

श्री नीरज शेखरः इसका मतलब है कि किसान पैसा रूरल बैंका को देता होगा, तो उससे नाबार्ड को वापस आ जाता होगा। किसान पैसा देता होगा, तभी तो वापस आता होगा!

श्री शिव प्रताप शुक्लाः किसान की तरफदारी के लिए आप जो कह रहे हैं, मैं उसके साथ हूं।

श्री नीरज शेखरः धन्यवाद।

श्री शिव प्रताप शुक्लाः उपसभापति जी, बात इसकी आ रही थी कि कोऑपरेटिव सेक्टर को कितना धन दिया गया है, तो कोऑपरेटिव सेक्टर को LTRCF में 15 हजार करोड़ रुपए और STRCF

में 45 हजार करोड़ रुपए दिए गए हैं। और प्रधान मंत्री जी ने additional 20,000 करोड़ रुपये देने के लिए भी एनाउंस किया था। प्रधान मंत्री जी बहुत उचित प्रकार से अपनी नीतियों को लोगों के बीच लेकर जा रहे हैं।

एक शंका यह भी की गई है कि यह कैसे होगा? इसके बारे में प्रधान मंत्री जी ने यह कहा है कि 2022 तक हम किसान की आय निश्चित रूप से दोगुनी कर देंगे, इसलिए आप यह विश्वास रखिए कि 2022 की स्थिति तक वर्तमान सरकार, जो आगे भी चलती ही रहेगी ही, वह किसान की आय अवश्य दोगुनी करेगी। इसमें शंका की कोई बात नहीं है। ...**(व्यवधान)**...

एक माननीय सदस्यः यह कैसे होगा?

श्री शिव प्रताप शुक्लाः अभी पहले आप इस बिल पर तो बहस कर लीजिए, उसके बाद यह भी बताएंगे कि वह कैसे होगा।

नाबार्ड में आरबीआई के तीन डायरेक्टर्स हैं। श्री राजीव शुक्ल जी ने एक बात कही थी, जिसे मैं स्पष्ट करना चाहूंगा। उनकी आशंका यह थी कि अभी तक तो RBI ही इनकी regulatory authority थी, लेकिन कल इसका क्या होगा? इस संबंध में मैं यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आज भी नाबार्ड की regulatory authority RBI ही है, उसको हटाया नहीं गया है। आगे भी वह उसी की देखरेख या संरक्षण में चलता रहेगा।

मान्यवर, अभी RIDF के अंतर्गत चर्चा हुई थी, उसके संबंध में मैं बताना चाहूंगा कि केन्द्र सरकार राज्य सरकारों को अधिक राशि उपलब्ध करवा रही है और इस बात की चर्चा कई राज्य सरकारों ने की है। कुछ माननीय सदस्यों ने यह भी कहा कि आन्ध्र प्रदेश को और अधिक राशि दी जाए। केन्द्र सरकार ने 2014-15 में राज्य सरकारों को 19,666 करोड़ रुपए, 2015-16 में 23,510 करोड़ रुपए और 2016-17 में 25,600 करोड़ रुपए इसके तहत उपलब्ध करवाए हैं। जब मनीष गुप्ता साहब बोल रहे थे, तो उन्होंने इस बात का विशेष उल्लेख किया था। केन्द्र सरकार ने हमेशा राज्य सरकारों को सहायता उपलब्ध करवाने का काम किया है।

कई माननीय सदस्यों ने इस आशंका को व्यक्त किया कि नाबार्ड की कैपिटल को कहीं private shareholders को देने की मंशा तो नहीं है। आप इस बात से आश्वस्त रहिए, इस प्रकार का कोई भी प्रस्ताव सरकार के पास नहीं है, सरकार ने इसको अपने पास ही रखा है। नाबार्ड जैसा था, वैसा ही रहेगा, केवल किसानों के हित को देखते हुए, एमएसएमई के हित को देखते हुए, सरकार ने उसकी शेयर राशि को बढ़ाया है। एक बात और हो रही थी कि 30,000 करोड़ रुपये की राशिं अतिम होगी? मैं बताना चाहूंगा कि 30,000 करोड़ रुपये की राशिं अतिम नहीं है। RBI से इस विषय पर फिर से बातचीत करके यह राशि 50,000 करोड़ या उससे अधिक भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि यह राशि उतनी ही रहेगी।

महोदय, जो यह बिल लाया गया है, उसका स्वाभाविक रूप से सभी लोगों ने समर्थन किया है। मैं समझता हूं कि यह बिल किसानों के हित में है, एमएसएमई के हित में है, साथ ही साथ राज्यों के हित में भी है। जैसा किं पचारिया जी पूछ रहे थे, चाहे सिंचाई की परियोजना हों अथवा अन्य परियोजनाएं हों, वह इन सब कार्यों में कहीं न कहीं मदद करने का कार्य ही करेगी।

[श्री शिव प्रताप शुक्ला]

एक बार पुनः मैं आप सभी लोगों से इसके लिए आग्रह करता हूं। जो छोटी-छोटी शंकाएं थी, उनको दूर करने का मैंने प्रयत्न किया है, फिर आप लोगों ने तो बहुत ही विद्वान वित्त मंत्री पाए हैं, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आगे चलकर सब कुछ और भी ठीक हो जायेगा। ...**(व्यवधान)**...

श्री राम नाथ ठाकुरः वित्त मंत्री जी, बिहार में जो 164 योजनाएं लम्बित हैं, उनके बारे में आपने कुछ नहीं कहा।

श्री शिव प्रताप शुक्लाः मैंने अलग से किसी राज्य के बारे में नहीं कहा है। मैंने सिर्फ यह बताया है कि राज्यों को इतनी-इतनी राशि दी जाती है, उसी में बिहार भी आता है।

श्री उपसभापतिः मंत्री जी, अगर आपके पास डिटेल्स नहीं हैं, तो आप उनको लिख कर भेज दीजिएगा। अभी आप बैठ जाइए।

The question is:

"That the Bill further to amend the National Bank for Agriculture and Rural Development Act, 1981, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We shall now take up clause-by-clause consideration of the Bill. In Clause 2, there is one Amendment (No.1) by Dr. T. Subbarami Reddy. He is absent. So, the Amendment is not moved.

Clause 2 was added to the Bill.

Clauses 3 and 4 were added to the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: In Clause 5, there are five. Amendments Nos. (2-4) by Dr. T. Subbarami Reddy. He is absent. So, these Amendments are not moved.

Amendment Nos.7 and 8 are by Shri K.K. Ragesh. He is moving the Amendments.

Clause 5 - Amendment of Section 4

SHRI K.K RAGESH (Kerala): Sir, I move:

(7) That at page 2, for lines 17 to 21, the following be *substituted,* namely:-

"Provided that the Central Government may, in consultation with the Reserve Bank and by notification, increase the said capital to thirty thousand crore rupees:

Provided further that the Central Government may, in consultation with the Reserve Bank and by notification, further increase the said capital to such amount as it may deem necessary from time to time:

Provided also that the combined shareholding of the Central Government and the Reserve Bank shall not at any time be less than one hundred per cent of the total subscribed capital".

(8) That at page 2, lines 22 to 31, be *deleted.*

Sir, I know that the RBI is the regulator. But, at the same time, it frames credit policies and that ensures that credit goes to the priority sectors, especially agriculture cooperatives, SMEs, etc. I feel that there should be proper liaison between NABARD and the Government of India and the RBI. That is why I am moving these amendments. Also, why is it 51 per cent? Why shouldn't it be 100 per cent? That should be 100 per cent on the part of the Central Government.

The questions were put and the motions were negatived.

Clause 5 was added to the Bill.

Clauses 6 and 7 were added to the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: In Clause 8, there is one Amendment (No.5) by Dr. T. Subbarami Reddy. He is absent. So, the Amendment is not moved.

Clause 8 was added to the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: In Clause 9, there is one Amendment (No.6) by Dr. T. Subbarami Reddy. He is absent. So, the Amendment is not moved.

Clause 9 was added to the Bill.

Clauses 10 to 13 were added to the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: In Clause 1, there is one Amendment (No.9) by the Minister, Shri Shiv Pratap Shukla.

SHRI SHIV PRATAP SHUKLA: Sir, I move:

(9) That at page 1, line 4, *for* the figure "2017", the figure "2018" be *substituted.*

The question was put and the motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I shall now put Clause 1, as amended, to vote.

Clause 1, as amended, was added to the Bill.

The Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI SHIV PRATAP SHUKLA: Sir, I move:–

That the Bill, as amended, be passed.

The question was put and the motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you. Two Bills have been passed. Today, we passed two Bills. Earlier also we passed two Bills. It was very constructive. *...(Interruptions)...*

MESSAGES FROM LOK SABHA - *Contd.*

The Ancient Monuments and Archaeologicals Sites and Remains (Amendment) Bill, 2018

SECRETARY-GENERAL: Sir, I have to report to the House the following message received from the Lok Sabha, signed by the Secretary-General of the Lok Sabha:—

"In accordance with the provisions of rule 96 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to enclose the Ancient Monuments and Archeological Sites and Remains (Amendment) Bill, 2018, as passed by Lok Sabha at its sitting held on the 2nd January, 2018".

Sir, I lay a copy of the Bill on the Table.

[THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA) *in the Chair*]

RECOMMENDATIONS OF THE BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): I have to inform Members that the Business Advisory Committee in its meeting held on the 2nd of January, 2018 has allotted time for Government Legislative Business, as follows:—

Business		**Time Allotted**
1.	Consideration and agreeing to the Amendments made by Lok Sabha in the Constitution (One Hundred and Twenty-Third Amendment) Bill, 2017, as passed by Lok Sabha, as reported by the Select Committee of Rajya Sabha and as passed by Rajya Sabha with amendments.	Three hours (To be discussed together) (Sl. No. 2 and 3)